कामकाजी महिला

वर्ष 4 अंक 5 जून, 1992 मूल्य : 2 रु०

16 अप्रैल को आयोजित कामगार महिला सम्मेलन, श्रमिक भवन कलकत्ता।

मई दिवस के अवसर पर महिलाओं की भारी संख्या में हड़ताल में शामिल होने की बधाई

मई दिवस के अवसर पर 'कामकाजी महिला' उन सभी संघर्षरत महिला साथियों को बधाई देती है जो अपनी आर्थिक मांगों तथा पूंजीवादी शोषण से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रही हैं । कोई इस बात से इनकार नहीं करेगा कि सरकार द्वारा अपनायी जा रही आर्थिक व औद्योगिक नीतियों का सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं पर पड़ेगा । कांग्रेसी शासकों ने विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा जापान आदि से आर्थिक मदद लेने का फैसला किया है ताकि कर्ज के जाल से बाहर आया जा सके । नरसिम्हा राव सरकार का वर्तमान नारा, बैंक, सरकारी क्षेत्र व अनेक लघु उद्योगों का निजीकरण है । वर्तमान समय में शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या 12 करोड़ तक पहुंच गयी है । क्या सरकार नहीं जानती कि रेल विभाग 4 लाख मजदूरों की छंटनी करने जा रहा है, तीन लाख कर्मचारी बैंक उद्योग में प्रभावित होंगे । देश में 1,75,000 छोटे बड़े उद्योग पहले ही बन्द पड़े हैं । इन कदमों से सबसे ज्यादा बुरा असर जनता तथा मजदूरों पर पड़ेगा । दफ्तरों में कम्प्यूटरों के प्रवेश का असर अगर महिलाओं पर नहीं पड़ेगा तो किस पर पड़ेगा । पुनर्वास कोष तथा गोल्डन हैंडशेक के द्वारा लाखों लोग बेकार हो जायेंगे । प्रधान मंत्री व मनमोहन सिंह अपनी नीतियों से जनता को कब तक मूर्ख बनायेंगे ।

लेकिन सरकार ने पीछे न हटने का फैसला किया है । हमारी संप्रभुता अथवा आत्मनिर्भरता अमरीका के हाथों बिक जाने की उसे कोई परवाह नहीं है । अमरीकी दबाव में आकर उसने समाजवादी क्यूबा को गेहूं देने से इन्कार कर दिया । दबाव में आकर उसने संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के खिलाफ मत दिया ।

अमरीका को खुश करके उससे ऋण लेने की नीति के

[शेष पृष्ठ 24 पर]

इस अंक में

मध्यप्रदेश महिला संगठन का विशाल प्रदर्शन	3
कामगार महिलाओं का सम्मेलन	3
वारासिवनी में कामगार महिलाओं की बैठक	4
मई दिवस और हे-मार्केट घटनाक्रम	5
एल. आई. सी., कोयम्बटूर में 'महिलाओं का छठा सम्मेलन'	7
शिवकाशी बाल श्रम पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन	8
आंध्र प्रदेश में महिला उद्यमियों की गतिविधियाँ	9
तमिलनाडु में ग्रामीण महिला उद्यमियों का सम्मेलन	11
प्रथम मई दिवस पर ऐलानौर मार्क्स का भाषण	13
महिलाएं सर्वाधिक प्रभावित होंगी	14
विश्वव्यापी आर्थिक संकट व महिलाएं	15
मद्रास में प्रथम महिला जिला सम्मेलन	17
प्रधानमंत्री ने आंगनवाड़ी···	17
बच्ची बलात्कार···	18
कामकाजी महिला · नागपुर में हुई बैठक के निर्णय	19
शानदार आम हड़ताल	22
का. निरंजन राय नहीं रहे	23
का. कमल सरकार	23

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समिति के लिए विमला रणदिवे की ओर से 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं० 384071) से सम्पादित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रीयल एरिया, शाहदरा, दिल्ली में मुद्रित ।

मध्यप्रदेश महिला संगठन का विशाल प्रदर्शन

28 मई 1992 को मध्य प्रदेश महिला संगठन द्वारा जिलाधीश शिवपुरी, कार्यालय पर बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, छंटनी, मिलबंदी के विरोध में विशाल जुलूस के आयोजन का फैसला लिया गया है। संगठन ने निम्न मांगों के संदर्भ में प्रदर्शन का आयोजन किया है—

(1) 50 वर्ष से ऊपर आयु की खेतिहर मजदूर श्रमिक महिलाओं को तत्काल उनके परिचय-पत्र वितरित किये जाएं तथा आवेदन की तिथि से 10 दिन के भीतर वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन लागू की जाए।

(2) श्रमिक महिलाओं व उनके अवयस्क बच्चों को शासकीय स्तर पर निःशुल्क दवाएं वितरित की जायें। शिक्षित-आश्रित महिलाओं को दो माह में काम की गारंटी दी जाए। रोजगार न मिलने की स्थिति में 250 रु. मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाये।

(3) श्रमिक महिलाओं को उपचार की दशा में निःशुल्क चिकित्सा एवं भोजन की व्यवस्था की जाये।

(4) जिला शिवपुरी में श्रम न्यायालय की स्थापना की जाये।

(5) श्रमिक, खेतिहर मजदूर, हरिजन, आदिवासी व पिछड़े वर्ग की महिलाओं को तलाक, बलात्कार, भरण-पोषण, परित्यक्ता, महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाये। दैनिक मजदूर श्रमिक महिलाओं को दैनिक मजदूरी 40 रुपया रोज दिलायी जाये।

(6) वन विभाग में कार्यरत महिला श्रमिकों को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाये। छंटनी के दौरान अलग किए गए कर्मचारियों को तत्काल सेवा में वापिस लिया जाये।

(7) बीड़ी मजदूरों को परिचय-पत्र तत्काल वितरित किए जायं तथा उनके लिए अस्पतालों की अलग से सुविधा हो।

(8) बीड़ी मजदूरों को 20 रु० प्रतिहजार मजदूरी दी जाये तथा उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाये।

कामगार महिलाओं का सम्मेलन

16 अप्रैल को सीटू की कलकत्ता जिला समिति द्वारा श्रमिक भवन हॉल में कामगार महिलाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का आयोजन अत्यंत उत्साहपूर्वक किया गया।

सी.एम.सी., निर्माण उद्योग, आई.सी.डी.एस., सी.यू.डी.पी. तथा सी.एस.टी.सी. व पी.आई.सी.ओ. आदि फैक्ट्रियों से लगभग सात सौ महिलाओं ने सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन के आरंभ में कॉ० एम. बासवपुनैया व अन्य सीटू नेताओं (जिनका निधन हो गया है) की याद में एक मिनट का मौन रखा गया।

कलकत्ता, उप समिति की संयोजक कॉमरेड लीला दास ने सम्मेलन में अपनी लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की।

उन्होंने अपनी रिपोर्ट में केन्द्र सरकार द्वारा अपनायी गयी आर्थिक व औद्योगिक नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने इस नीति की घोषणा को विश्व बैंक व मुद्रा कोष के हाथों देश की संप्रभुता बेच देने की संज्ञा दी। यह समर्पण राजनैतिक संप्रभुता के लिए भी खतरनाक है। सरकारी नीतियों के परिणामस्वरूप बेरोजगारी तथा कीमतों में हुई वृद्धि पर भी चिन्ता प्रकट की।

उन्होंने इस पुरुष प्रधान महिलाओं की उपेक्षा तथा शोषण पर भी चिन्ता जताई। इस ओर से सरकार के उदासीन रवैये की आलोचना करते हुए उन्होंने महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन दिये जाने की ओर ध्यान दिलाया। यूनियनों का नेतृत्व भी इस बात की ओर उदासीन रहता है। उन्होंने नरसिम्हा राव सरकार द्वारा महिलाओं उद्यमियों के खिलाफ छेड़े गये अभियान के विरुद्ध डटकर संघर्ष करने के लिये कहा।

श्रम संगठनों की गतिविधियों तथा सांगठनिक गतिविधियों में सक्रिय भागेदारी सुनिश्चित करने के लिये उन्होंने तीन सूत्रीय प्रस्ताव रखा :

1. जिला स्तर पर कामगार महिला उप-समितियों का नियमित कामकाज।

2. असंगठित महिलाओं को संगठित करने के लिए सतत् प्रचार अभियान चलाया जाये। इसमें महिला संगठन-

कर्ता प्रमुख भूमिका अदा कर सकती हैं।

3. जिन उद्योगों में बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं, वहाँ महिलाओं के सम्मेलन आयोजित किए जाएं।

कामगार महिलाओं की समन्वय समिति की संयोजक तथा राज्य समिति की सचिवों में से एक, कॉ. आरती दास गुप्त तथा सीटू की कलकत्ता जिला समिति की महासचिव कॉ. रघुनाथा कुशारी ने भी सम्मेलन को सम्बोधित किया। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे केन्द्र सरकार की जन-विरोधी आर्थिक-औद्योगिक नीतियों के खिलाफ संघर्ष करें। उन्होंने सम्मेलन में भाग लेने वाली महिलाओं की सराहना की। उन्होंने आशा प्रकट की आगामी माहों में जिले में महिलाओं के और बड़े तबके को संगठित किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी आशा प्रकट की कि वर्तमान चिन्ताजनक राजनीतिक स्थिति में भी महिलाएं प्रमुख भूमिका अदा करेंगी। कुछ प्रतिनिधियों ने विचार-विमर्श में भी भाग लिया।

सम्मेलन का संचालन एक अध्यक्षमंडल ने किया जिसमें शिवानी सेनगुप्ता, कृष्णा सेन गुप्ता, दीपिका रॉय तथा जयन्त दासगुप्ता शामिल थीं।

वारासिवनी में कामगार महिलाओं की बैठक

[वारासिवनी में लगभग तीन वर्ष पूर्व कामगार महिलाओं का एक सम्मेलन अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति की संयोजिका का. विमल रणदिवे की उपस्थिति में हुआ था। उस वक्त एक समन्वय समिति भी बनाई गई थी। परन्तु बनाने के बाद से उस समिति ने कोई काम नहीं किया यद्यपि पिछले तीन वर्षों में और अधिक महिलाएं सीटू की यूनियनों की सदस्य बनीं व वन विभाग की कर्मचारी महिलाओं एवं पुरुषों को सीटू द्वारा लेबर कोर्ट में दायर किये मुकदमे के कारण उस विभाग की ओर से बकाया राशि का भुगतान भी हुआ।]

इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 16 मई को वारासिवनी में बुनकर, खान मजदूर, बीड़ी मजदूर, वन विभाग की कर्मचारी महिलाओं की एक विस्तृत बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता खान मजदूर श्रीमती कमलाबाई ने की। खान मजदूर सागनबाई, कुलबाई ने खानों के काम करने की बदतर परिस्थिति के बारे में बताया। बुनकर, धूपदबाई, मालती ने बुनकरों को महीने भर के मिलने वाले मात्र 500 रु० का जिक्र किया जबकि पूरा परिवार साड़ी बुनने में लग जाता है। बीड़ी मजदूरों को सरकार द्वारा घोषित नई दरों के बावजूद पुरानी कम दर रु० 14.70 प्रति हजार, मिलती है। वन विभाग की कर्मचारी मजदूर की भी समस्याएं बनी हुई हैं। अस्थाई खान मजदूर को सुरक्षा के कोई साधन जूते, दस्ताने, टोप नहीं दिये जाते।

बैठक के अन्त में का. संध्या शैली ने कामगार महिलाओं की जिम्मेदारियां और '16 जून की हड़ताल' के बारे में जानकारी दी।

बैठक में यह तय किया गया कि 16 जून को सारी कामगार महिलाएं मुकम्मल हड़ताल करेंगी।

बैठक में का. सागनबाई का नाम राज्यस्तरीय अस्थाई समिति के लिए चुना गया।

बैठक में यह तय हुआ कि चूंकि तीन वर्ष पहले बनी समन्वय समिति निष्क्रिय हो चुकी है। अतः फिर से नयी समिति बनाई जाये। इस संबंध में सीटू का वारासिवनी का जिला सचिव मण्डल, बुनकर-2 खान मजदूर-3 बीड़ी-2 वन विभाग-1 इस अनुपात में महिला मजदूरों की एक समन्वय समिति गठित करेगा।

16 जून के बाद जून के अन्तिम या जुलाई के प्रथम सप्ताह में सीटू की वारासिवनी समन्वय समिति की भी बैठक होगी।

अन्त में बैठक में विशेष रूप से उपस्थित सीटू राज्य महासचिव का. एस. कुमार ने नई आर्थिक नीति और उसके कामगारों पर कुप्रभाव के बारे में बताया और सभी कामगारों को 16 जून की अखिल भारतीय हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया।

मई दिवस और हे-मार्केट घटनाक्रम

विमल रणदिवे

भारत में मजदूर वर्ग ने 1927 के बाद से मई दिवस मनाना आरम्भ किया जब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने एक औपचारिक फैसला किया तथा देश भर में मई दिवस मनाने की अपील की। ब्रिटिश राज के अंतर्गत आर्थिक राजनैतिक परिस्थितियां अत्यन्त खराब थीं तथा मजदूर एक वर्ग के रूप में संगठित नहीं थे। पहले विश्व युद्ध तथा सोवियत संघ की अक्टूबर क्रान्ति के बाद ही मजदूर वर्ग के बीच मार्क्सवादी विचारधारा का प्रसार आरम्भ हुआ। कॉ. सुकोमल सेन के अनुसार "हालांकि इन सब दबावों के अन्तर्गत, तत्कालीन सरकार ने भारत में भी मजदूरों के काम में घण्टों की सीमा निर्धारित करने की बात की, क्योंकि वे अमानवीय तौर पर ज्यादा थे, लेकिन आठ घण्टे काम की स्थिति 1949-48 तक ही हासिल की जा सकी। 1947-48 के बाद भी कुछ राज्यों में काम के घण्टे ज्यादा हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर आन्दोलन तथा बाद में हे-मार्केट के घटनाक्रम, जहां शिकागो में 3 मई 1886 को मजदूरों पर गोली चलाई गयी, पेरिस कांग्रेस ने 1889 में मई दिवस मनाने का फैसला किया और यह धीरे-धीरे अन्य देशों में भी फैला। सुधारवादी रवैया अपनाया जाने या मजदूरों के मुद्दों पर मालिकों और सरकार से संघर्ष का रास्ता अपनाया जाये, इस मुद्दे पर बहुत विचार हुआ।

हे-मार्केट घटनाक्रम

हमारे बहुत से पाठकों को हड़तालों व प्रदर्शनों आदि में महिलाओं व पुरुषों की शानदार भूमिका के बारे में नहीं मालूम होगा। ये संघर्ष, वेतन-वृद्धि, काम के घंटों तथा कोयला खानों में, रेलवे में खतरनाक परिस्थितियों में काम करने के विरुद्ध 1870-80 में किये गये थे। उन दिनों अनेक श्रेणीगत यूनियनें थीं लेकिन विभिन्न उद्योगों में कार्यरत अमरीका, इंगलैंड आदि में एक यूनियन नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में अमरीकन लेबर फेडरेशन अस्तित्व में आयी। 1870 में पेनिसिल्वेनिया में 22,000 कोयला मजदूर कार्यरत थे, "जिन्हें रोज कम रोशनी, गन्दगी व जहरीले धुंए से गुजरना पड़ता था।" उन्होंने अनेक संघर्ष किए। हत्याएं हुईं, कुछ आतंकवादी संगठन भी अस्तित्व में आ गये। खान में कार्यरत अनेक मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया। मालिकों द्वारा हमलों, मुकदमों का मजाक बनाये जाने, गिरफ्तारियों आदि के कारण मजदूरों ने वर्ग एकता की आवश्यकता महसूस करनी शुरू की। इसके साथ ही मजदूरों ने नरमपंथी तथा क्रान्तिकारी यूनियनों के अन्तर को भी समझना आरम्भ किया, जो संघर्ष के समय उनकी सहायता के लिए आगे आते थे।

ओहियो रेल आथॉरिटी ने रेल मजदूरों के वेतन में 10 प्रतिशत कटौती कर दी। संघर्ष का पहला चिह्न मालिनस्टिग, वेस्ट वर्जिनिया में दिखा जहां कुछ मजदूरों ने ट्रेन में आग लगा दी, तथा मजदूरों की एक बड़ी भीड़ उनके समर्थन के लिए आ गयी। उनकी गिरफ्तारी के लिए सेना बुलायी गयी, लेकिन सैनिकों में उनके कुछ रिश्तेदार निकले व उन्होंने गिरफ्तारियां करने से इन्कार कर दिया। 'बाल्टमोर सन' समाचार पत्र ने लिखा कि अपने सभी कानूनी हकों के संघर्ष में हड़तालियों का पूरा समर्थन प्राप्त है ··सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाएं भी इन गतिविधियों में खुल कर हिस्सा ले रही हैं जो अब तक केवल पत्नियों व माताओं की ही भूमिका अदा करती थीं। वे भयंकर मूड में हैं तथा उनकी घोषणा है कि उनके पति कम वेतन पर काम करें इसके बजाय वे भूखी रहना स्वीकार कर लेंगी।"

हड़ताल कई जगहों पर जंगल की आग की तरह फैल गयी। गोर्डन स्टेशन पर पहली बार खून खराबा हुआ जहां दस लोगों को गोली मार दी गयी। इसके बाद और मजदूर आये तथा उन्हें भी गोली मार दी गयी। मजदूरों के इस जबरदस्त संघर्ष के परिणामस्वरूप पीटर्सबर्ग शहर उन के कब्जे में आ गया जो अब तक भूखे व बेरोजगार थे। इसके बाद जैसे-जैसे हड़ताल नयी-नयी जगहों पर फैलती गयी वैसे-वैसे और मजदूर उसमें शामिल होते गये। आखिर सरकार ने मार्शल लॉ की धमकी दी तथा 1877 की रेलवे हड़ताल को कुचल दिया गया।

लेकिन इस घटनाक्रम से मालिकों तथा मजदूरों के बीच अगले संघर्ष की भूमिका तैयार हो गयी। लोगों की क्रान्तिकारी चेतना आश्चर्यजनक रूप से इस स्तर पर पहुंच गयी कि उन्होंने नारा दिया कि "मजदूर कोई देश नहीं जानते ! वे विश्व नागरिक हैं तथा तमाम विश्व के मजदूर अपनी मांगों के लिए एक हों···"

1884 में शिकागो में हुए सम्मेलन में फैसला किया गया कि 1 मई, 1886 से आठ घंटे काम वैधानिक समय माना जायेगा तथा सभी सम्बद्ध यूनियनें इस प्रस्ताव को यथासमय पास करें। परिणामस्वरूप सब जगह बैठकें व प्रदर्शन हुए। हड़ताल की तैयारियां जारी थीं। फेडरेशन की सदस्यता तथा प्रतिष्ठा खूब बढ़ गयी।

1 मई को विभिन्न स्थानों पर 3,50,000 मजदूरों ने आठ घंटे काम के लिए प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। लेकिन शिकागो शहर में, जो कि वामपंथी आन्दोलन का केन्द्र था 80,000 मजदूर एकत्र हुए। परिणामस्वरूप मजदूर काम के घंटे कम करवाने में सफल हो गये। हालांकि नरमपंथियों व सरकार ने इस तरह का प्रचार किया था कि मई दिवस हिंसक हो रहा है, लेकिन आन्दोलन शांतिपूर्वक चला। एक मई को शनिवार था। हजारों मजदूरों ने सड़कों पर मार्च किया। हर फैक्ट्री से और मजदूर उनके साथ आते गये। वे अपने साथ एप्रेन व काम के चिह्न लिए हुए थे।

तीन मई

3 मई को शिकागो में मेक्रोनिक हार्वेस्टिंग वर्क में हिंसा भड़क उठी। हड़ताल सम्पूर्ण थी। हड़ताल तोड़ने वालों की मदद से पुलिस ने हस्तक्षेप किया तथा एक मजदूर मारा गया। इससे मजदूरों का गुस्सा भड़क उठा तथा नेताओं ने बाजार में एक सभा बुलाई। जब आखिरी वक्ता अपनी बात समाप्त करने जा रहा था तभी पुलिस ने पहुंचकर भाषण बन्द करने को कहा। इसके बाद एक बम फेंका गया जिसके बारे में जांच के बाद भी पता नहीं चल सका कि वो किसने फेंका था लेकिन यह अन्दाज है कि वह पुलिस के किराये के आदमियों ने फेंका होगा। उससे सात पुलिस अधिकारी, चार मजदूर मारे गये जबकि कई घायल हुए।

इसके तुरन्त बाद बुर्जुआ प्रेस, मालिकों व सरकार ने देश में अव्यवस्था फैलने के खतरे का शोर मचाया। नेताओं को गिरफ्तार किया गया इनमें ऑगस्ट स्पाइस, अल्बर्ट पार्सन, सैमुअल फील्डमैन, जॉर्ज एंग्ले, एडोल्फ फिशर, माइकल स्क्वाब, ऑस्कर नीबे तथा लीविस लिग आदि शामिल थे। वे सभी शिकागो के तथा वामपंथी विचारधारा वाले थे।

मुकदमा तो एक धोखा था। उनमें से सात तो उस स्थान पर मौजूद तक नहीं थे। नरमपंथी मजदूर नेताओं ने उन्हें बचाने में सहयोग नहीं दिया।

अमरीका तथा उसके बाहर के अनेक लोगों व पत्रकारों ने चिन्तित होकर उन्हें छोड़ने की मांग की। इन लोगों पर यह आरोप था कि वे पुलिस पर बम द्वारा हमले में शामिल थे। ये आरोप कभी साबित नहीं हो पाये। शिकागो के मेयर ने भी कहा कि पुलिस के पहुंचने के पहले हड़ताल शान्तिपूर्ण थी।

सरकारी वकील ने जूरी को यही तर्क दिया कि "इन लोगों को फांसी दी जाये ताकि ये अन्य लोगों के लिए उदाहरण बनें व व्यवस्था को बचाया जा सके···" ज्यादातर लोगों ने न्याय तथा कैद किये गये लोगों को छोड़ने की मांग की। आठ में से सात लोगों को मौत की सजा दी गयी। एक को कैद की सजा सुनायी गयी। चार लोगों, अल्बर्ट पर्सन, ऑगस्ट स्पाइस, जॉर्ज एंग्लो तथा एडोल्फ फिशर को 11 नवम्बर 1887 को कुछ चुनिंदा संवाददाताओं की मौजूदगी में फांसी पर लटकाया गया।

फांसी के लिए ले जाते समय पर्सन ने कहा "ओ, अमरीका वासियो! जनता की आवाज को बुलन्द करना··' 'फाकले' के संपादक ऑगस्ट स्पाईस ने कहा "आज तुम हमारी आवाज को दबा सकते हो, लेकिन एक समय आयेगा जब हमारा मौन इस आवाज से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा जिसे तुम दबा रहे हो।"··· कोर्ट में अपने अन्तिम वक्तव्य में ऑगस्ट स्पाईस ने कहा था··· "उन्होंने सोचा कि आठ घण्टे काम के लिए दो घण्टे का वेतन काफी है। मैं कहता हूँ कि अगर सच बोलने की कीमत मौत है तो मैं खुशी-खुशी यह कीमत चुकाते हुए तुम्हारे जल्लाद को बुलाता हूं।"

ये मजदूर नायक कितने वीर तथा महान थे जो मजदूर हितों के लिए कुर्बान हो गये। कितने साहस के साथ उन्होंने कहा कि वे यह कीमत चुकायेंगे। अल्बर्ट पर्सन की पत्नी द्वारा उन्हें बचाने के प्रयास अंततः सफल हुए लेकिन कैद के बाद। गवर्नर ने खुद माना कि वे

बेकसूर थे तब तक उनकी जीवन ज्योति बुझ चुकी थी।

100 साल से भी अधिक समय बाद आज मजदूरों ने अनेक अधिकार हासिल कर लिये हैं। उन्होंने न केवल काम के आठ घंटों बल्कि अन्य कई आर्थिक मांगें भी हासिल कर ली हैं। उन्होंने यूनियनें बनाईं व अनेक मांगों पर संयुक्त आन्दोलन किये। पर पूंजीवादी शासन समाप्त नहीं हुआ है। हमारे देश में मजदूर वर्ग जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। पूंजीवादी शासन के अन्तर्गत कठोर शोषण का शिकार बन रहा है। बेरोजगारी, भुखमरी, मिलबन्दी, मूल्य वृद्धि तथा बच्चों की मृत्यु की समस्या पूंजीवाद के अन्तर्गत बरकरार है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि मजदूरों का संगठित आन्दोलन जोर पकड़ रहा है तथा इन नीतियों के खिलाफ जगह-2 संयुक्त आन्दोलन हो रहे हैं। 29 नवम्बर और 16 जून की हड़ताल से बुर्जुआ जमींदारी शासन व उसकी नीतियों पर प्रहार करने की मजदूरवर्ग की शक्ति का पता चल गया है।

यह मामूली बात नहीं है। 100 वर्ष पूर्व ऑगस्ट स्पाईस, अल्बर्ट पर्सन व अन्य लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की थीं। फांसी के तख्ते पर जाने से कुछ पहले जनता व मजदूरों से कहे गये उनके शब्द किसी भी प्रकार के पूंजीवादी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमें प्रेरणा देंगे। हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं तथा उनके अधूरे छोड़े काम को आगे बढ़ाने की शपथ लेते हैं।

एल. आई. सी., कोयम्बटूर में 'महिलाओं का छठा सम्मेलन'

एल० आई० सी० की महिला उद्यमियों का छठा सम्मेलन 17 मई 1992 (पूर्वाह्न) को कोयम्बटूर के व्यास मन्दिर कल्याण मंडपम में इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एम्प्लाईज यूनियन, कोयम्बटूर डिवीजन के तत्वावधान में हुआ। सम्मेलन स्थल को झण्डों, बैनरों व मजदूर वर्ग की मांगों को प्रकट करने वाले पोस्टरों से सजाया गया था।

कोयम्बटूर, परियार व नीलगिरी जिलों में एल० आई० सी० दफ्तरों की 130 महिला कर्मचारियों ने सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन की कार्रवाई का संचालन एक अध्यक्ष मंडल ने किया जिसमें कॉ० उमा माहेश्वरी (कोयम्बटूर), कॉ० शारदामणि (कोयम्बटूर), कॉ० एम० रानी (एरोडे), व कॉ० आर० कान्तामाणि (ऊटी) शामिल थीं। कॉ० जी० माधवन, महासचिव इंश्योरेंस कार्पोरेशन एम्प्लाइज यूनियन ने सदस्यों का स्वागत किया। कॉ० उमा माहेश्वरी ने महिला उप समितियों के कामकाज की रिपोर्ट प्रस्तुत की। कुल मिलाकर देश की वर्तमान सामाजिक आर्थिक स्थिति में महिलाओं ने खासकर कामकाजी महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों पर हुए जीवंत विचार-विमर्श में नौ सदस्यों ने भाग लिया। अनेक बिरादराना श्रम संगठनों की प्रतिनिधियों ने भी सम्मेलन को शुभ कामनाएं प्रदान कीं, इनमें तमिलनाडु वाटर एण्ड ड्रेनेज बोर्ड एम्प्लाईज यूनियन, तमिलनाडु विद्युत विभाग के केन्द्रीय संगठन, बनियान मजदूर यूनियन, तिरुपुर, नैशनल फेडरेशन ऑफ टेलीग्राफ ट्रैफिक एम्प्लाईज यूनियन, तमिलनाडु जनरल इन्श्योरेंस एम्प्लाईज ऐसोसिएशन तथा 'आइड्वा' शामिल थीं।

ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉईज ऐसोसिएशन के संयुक्त सचिव कॉ० आर० गोविन्दराजन ने विचार-विमर्श का समापन किया तथा महिला कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे मजदूर आन्दोलन की गतिविधियों में और खुलकर भाग लें।

सम्मेलन में आवास प्रदान करने, महिलाओं के लिए विशेष बसें चलाने, विज्ञापनों में महिलाओं की गलत छवि बनाने पर प्रतिबंध लगाने, क्रेच की सुविधा, गर्भावस्था अवकाश को बढ़ाकर छः माह करने, महिला कर्मचारियों के लिए अलग भोजनालयों की व्यवस्था, समान काम के लिए समान वेतन, दहेज प्रथा का विरोध, निजीकरण के खिलाफ तथा कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन के बारे में प्रस्ताव परित किए गये।

इंश्योरेंश कोर्पोरेशन एम्प्लॉईज नयूनियन के उपाध्यक्ष कॉ० एस० कृष्णमूर्ति ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।

शिवकाशी बाल श्रम पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन

शिवकाशी (तमिलनाडु) की माचिस व फायरवर्क फैक्ट्रियों में बाल श्रम के बारे में उच्चतम न्यायालय की समिति ने न्यायालय को सूचित किया है कि एक्सप्रैस-न्यूज सर्विस ब्यूरो के अनुसार 31 अक्टूबर, 1990 के उसके अधिकतर निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है। शोषण का मुख्य आधार 'पीस रेट सिस्टम' के आधार पर वेतन भुगतान है जिसके कारण बच्चों का किसी तरह का मानसिक अथवा शारीरिक विकास नहीं हो पाता क्योंकि उन्हें सुबह से रात तक काम करना पड़ता है, फिर भी उन्हें उतने ही काम के लिए बड़ों से कम वेतन मिलता है।

अतः इस 'पीस रेट सिस्टम' को समाप्त करके 'मासिक भुगतान व्यवस्था लागू की जानी चाहिये। इसके अलावा बाल मजदूरी की प्रथा को समाप्त करने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम आरंभ किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम का निरीक्षण एक राष्ट्रीय आयोग द्वारा किया जाना चाहिये, जिसके शिखर पर उच्चतम न्यायालय हो तथा स्थानीय उच्च न्यायालय बाल श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जिम्मेदार हों। शिवकाशी इलाके में बाल श्रमिकों की संख्या लगभग 45,000 है।

एडवोकेट आर. के. जैन, इन्दिरा जैन तथा के. सी. दत्ता की समिति ने नवम्बर मध्य में इस बात का उल्लेख किया कि मालिक उद्योग में कार्यरत कुल बाल श्रमिकों की सही संख्या बताने में असमर्थ थे। वे बच्चों की आयु के सम्बन्ध में भी कोई प्रमाण नहीं दे सके थे क्योंकि ठीक से आंकड़े नहीं रखे जाते। उच्चतम न्यायालय की अवहेलना करने के अलावा बच्चों से निर्माण विभाग में भी काम कराया जाता था जिसमें पैकिंग विभाग शामिल है।

पैनल ने अपील की कि पैकिंग प्रांगण को निर्माण विभाग से अलग ले जाया जाये ताकि बच्चों को जहरीले धुंए व रसायनों से बचाया जा सके। हालांकि तमिलनाडु सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया गया था कि बच्चों से 'फायर वर्क' फैक्ट्रियों में काम न कराया जाये लेकिन समिति ने बच्चों को वहाँ रविवार को भी काम करते हुए पाया।

सदस्यों ने निष्कर्ष निकाला कि बाल श्रमिकों के लिए शिक्षा व मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने सम्बन्धी न्यायालय के आदेश का पालन करने की कोई कोशिश नहीं की गयी। लम्बी कार्यावधि जो बड़ों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव डालती है उसे बच्चों के लिए घटाकर छः घण्टे, (मासिक भुगतान के आधार पर) किया जाना चाहिये तथा इसके अलावा फैक्ट्री में अथवा आसपास शिक्षा अथवा मनोरंजन की भी व्यवस्था की जानी चाहिये।

पैनल के सदस्यों ने पाया कि बच्चों के भोजन सबंधी न्यायालय के आदेशों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ये बच्चे सुबह सूर्योदय से पहले घर से निकल पड़ते हैं, तथा 10.30 बजे अपना थोड़ा बहुत खाना खाकर देर रात बिना कुछ खाये घर पहुंचते हैं। उनके लिए खाने की व्यवस्था की जिम्मेदारी मालिकों की अथवा सरकार की होनी चाहिए। स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की योजना में इन बच्चों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

न्यूनतम वेतन, स्वास्थ्य सुविधाओं व बीमा संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेशों का भी उल्लंघन किया गया है। एक बड़ी कमी यह थी कि ये सुविधाएं केवल पंजीकृत फैक्ट्रियों के लिए ही थीं। इसके अलावा प्रति श्रमिक, प्रति वर्ष 2 रुपये की व्यवस्था से कल्याण कोष सम्बन्धी उच्चतम न्यायालय के आदेश में बाधा आयी।

पढ़ें

कामकाजी महिला

(हिन्दी द्विमासिक पत्रिका)

कीमत : एक प्रति : 2 रुपये

वार्षिक चन्दा : 12 रुपये

अपनी प्रतियों के लिए हमें लिखें :

सी ग्राई टी यू 6, ताल कटोरा रोड

नई दिल्ली-110001

आंध्र प्रदेश में महिला उद्यमियों की गतिविधियाँ

आंध्र प्रदेश की सीटू काउंसिल की महिला सदस्याएं काउंसिल की बैठक के दौरान मिलीं तथा उन्होंने फैसला किया कि सरकार की नीतियों तथा महिला उद्यमियों पर पड़ने वाले उनके प्रभाव व उसके परिप्रेक्ष्य में 29 नवम्बर की हड़ताल के महत्व को समझाने के लिए पर्चे बांटे जायें। महिलाओं के बीच तेलुगू में छपे हुए लगभग 5,000 पर्चे तथा अंग्रेजी में छपे हुए 1000 पर्चे वितरित किए गए। हड़ताल के पहले एल. आई. सी., म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (विसाखा स्टील प्लांट), पी. एण्ड टी, नर्सें व असंगठित मजदूरों की बैठकें हुईं।

29 तारिख को जीवन बीमा निगम, हैदराबाद व मछलीपटनम की महिलाएं सुबह सात बजे पहुंची तथा उन्होंने हड़ताल में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए नारेबाजी शुरू कर के बी. एम. एस. के उन कर्मचारियों को रोक दिया, जो काम पर जाना चाहते थे।

भारतीय जीवन बीमा निगम का हैदराबाद में क्षेत्रीय-स्तर का सम्मेलन हुआ जिसमें लगभग 140 महिलाओं ने अत्यंत उत्साहपूर्वक भाग लिया। लगभग 15 महिलाओं ने समाज में महिलाओं की दशा के बारे में अपने विचार प्रकट किए, लघु कथाएं व कविताएं पढ़ीं। बैठक को कॉ. पुण्यवती ने संबोधित किया। एक उप समिति का भी गठन किया गया।

आदिलाबाद में कामकाजी महिलाओं का सम्मेलन हुआ। सीमेंट उद्योग, बीड़ी उद्योग, नर्सें व आंगनवाड़ी क्षेत्रों से लगभग 160 महिलाओं ने भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खेल-कूद, निबन्ध प्रतियोगिताओं तथा गायन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया व मछलीपटनम में एक बैठक भी आयोजित की गयी। इनमें लगभग 110 महिलाओं ने भाग लिया। हैदराबाद में 'आइद्वा' के साथ एक बैठक आयोजित की गयी। हैदराबाद डिफेंस लैब्स में एक सेमीनार का आयोजन किया गया जिसमें हमें बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। हमारी हैदराबाद समन्वय समिति की सदस्याओं ने उन्हें सम्बोधित किया।

7 मार्च को विजयवाड़ा में महिला कल्याण विभाग की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। हमने महिला व रोजगार के विषय पर सक्रिय हिस्सेदारी की तथा समान वेतन, विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन, स्व-रोजगार, तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण से सम्बन्धित प्रस्तावों को तैयारी में सहयोग किया।

नवम्बर में विजयवाड़ा में महिला दुकान कर्मचारियों की एक बैठक हुई। विजयवाड़ा में महिला दुकान कर्मचारियों को एक जैसे काम के लिए पुरुषों के वेतन का 50-60 प्रतिशत वेतन मिलता है। उन्हें 12-14 घंटे लगातार काम करना पड़ता है। तथा शौचालय आदि की सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। आधे घंटे के भोजनावकाश के दौरान उन्हें दुकान मालिकों को खाना देकर उनके बर्तन साफ करने पड़ते हैं। बैठक में संगठित होने तथा न्यूनतम वेतन के लिए संघर्ष करने के बारे में विचार किया गया।

वी. टी. पी. एस. कर्मचारी ठेका मजदूरों को नियमित करने व समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर संघर्षरत हैं। ठेके पर कार्य कर रही महिला कर्मचारियों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए समन्वय समिति के सदस्य वी. टी. पी. एस. कर्मचारियों से मिले।

आंगनवाड़ी

हम अखिल भारतीय समिति की सभी अपीलों को पूरी तरह कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने एक यूनियन को पंजीकृत करवा कर उसे सीटू सम्बद्ध करवा लिया है, 9 जिलों के 18 केन्द्रों में यूनियन की नियमित गतिविधियाँ जारी हैं। हमारे 5 जिलों में 29 परियोजनाओं से सम्पर्क हैं। हालांकि इनमें गतिविधियाँ नियमित नहीं है; अब सदस्यता-अभियान आरंभ हो गया है तथा हमें 3,000 तक सदस्यता होने की आशा है।

29 नवम्बर की हड़ताल के बारे में हमने अलग-अलग तैयार किए गए 3,000 पर्चे वितरित किए जिनमें सरकार की सब्सिडी समाप्त करने की नीति के आंगनवाड़ी कर्मचारियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में समझाया गया था। चार परियोजनाओं की आंगनवाड़ी कर्मचारियों

ने हड़ताल में भाग लिया। एक परियोजना में उन्होंने हड़ताल के समर्थन में जुलूस निकाला।

हमारे राज्य में आंगनवाड़ी कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन तथा यात्रा-भत्ता आदि नहीं दिया जा रहा है। इस व ऐसे ही अन्य मुद्दों के बारे में हमने दो बार निदेशक से तथा एक बार मंत्री महोदय से भेंट की। विधान सभाओं में वामपंथी विधायकों द्वारा इस बारे में प्रश्न उठाये गए।

हमने उनकी समस्याओं पर विधायकों व सांसदों के हस्ताक्षर एकत्र किये व उन्हें केन्द्र को भेजा।

जो आंगनवाड़ी कर्मचारी पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुकने के अतिरिक्त मैट्रिकुलेशन पास हैं व जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम है उनकी पदोन्नति के लिए राज्य सरकार ने एक लिखित परीक्षा लेना तय किया है। कुछ आंगनवाड़ी महिलाएं इस आयु सीमा को बढ़ाकर 45 वर्ष करवाने की मांग को लेकर न्यायालय गयीं व उन्होंने स्थगन आदेश सरकार आयु सीमा को बढ़ाकर 45 वर्ष करने के लिए तैयार हो गयी है।

इस माह 29 तारीख को हम उनकी मांगों के समर्थन में विधानसभा के समक्ष धरना देने जा रहे हैं। हमें आशा है कि लगभग 3000 महिलाएं धरने में भाग लेंगी, 27 तारीख को हम हैदराबाद में आंगनवाड़ी महिलाओं का सम्मेलन करने जा रहीं हैं।

कुछ स्थानों पर आंगनवाड़ी गतिविधियाँ 'आईड्वा' के साथ सम्मिलित रूप से होती हैं, कुछ स्थानों पर सीटू सीधे-सीधे आंगनवाड़ी गतिविधियों का नेतृत्व कर रही है और कहीं-कहीं सीटू की मदद से समन्वय समिति उनको नेतृत्व प्रदान कर रही है। अध्यापक संगठन, यू. टी. एफ. के कार्यकर्ता उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं।

संगठन

हालांकि समन्वय समिति काम नहीं कर रही है लेकिन कभी-कभी राज्य समिति तथा काउंसिल की बैठकों के दौरान हम महिला कार्यकर्ता व काउंसिल सदस्य मिलकर भविष्य के कार्यक्रम निर्धारित करतीं हैं।

विजाग, मछलीपटनम तथा हैदराबाद में जिला समन्वय समितियाँ सक्रिय हैं।

आमतौर पर कामकाजी महिलाओं की आर्थिक मांगें उठायी जाती हैं। भविष्य में यूनियन के नेतृत्व में महिलाओं के आगे आने के बारे में हमें अध्ययन करना है।

भविष्य के कार्यक्रम

1. 26 व 27 मार्च को आंगनवाड़ी धरना व सम्मेलन।
2. 'कामकाजी महिला' का वितरण बढ़ाया जाना चाहिये।
3. मध्यम वर्ग—बैंक, एल. आई. सी. व जी. आई. सी. में वे काफी संख्या में कार्यरत हैं। अतः हम महिला कर्मचारियों के लिए अध्ययन केन्द्र आरंभ करके व उप-समितियाँ गठित करके उन्हें संगठित करने का प्रयास करेंगी। विजाग में एल.आई.सी. महिला कर्मचारियों के लिए अध्ययन केन्द्र आरंभ किए जाने वाले हैं।

यदि हम उन्हें संगठित नहीं करते तो अन्य विभाजनकारी शक्तियाँ उन्हें प्रभावित कर सकती हैं। दूसरा खतरा यह है कि उन्हें संगठित किये बिना हम उन्हें मजदूर संघर्ष की मुख्य धारा में शामिल नहीं कर पायेंगे, जिससे मजदूर आन्दोलन भी कमजोर होगा। इसके अलावा हम कैडर भी एकत्र नहीं कर सकेंगे।

बी. टी. आर. की पुण्यतिथि—6 अप्रैल। इस अवसर पर आम सभा की जायेगी।

अगस्त में एक दिवसीय राज्य सम्मेलन आयोजित किया जायेगा व उससे पहले विजाग, बिजयवाड़ा, तिरुपति व हैदराबाद में एक दिवसीय अध्ययन कक्षाएं की जायेगीं।

कक्षाएं: जून व जुलाई में राज्य ट्रेड यूनियन कक्षा में लगभग 40 महिला उद्यमी भाग लेंगीं।

भविष्य में हम निर्माण उद्योगों, बीड़ी उद्योग व दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों पर ध्यान केन्द्रित करेंगे।

तमिलनाडु में ग्रामीण महिला उद्यमियों का सम्मेलन

26 मार्च, 1992 को तमिलनाडु में किलेवेल्लूर गांव में 'आइड्वा' तथा तमिलनाडु एग्रीकल्चरल वर्कर्ज यूनियन द्वारा संयुक्त रूप से ग्रामीण महिला उद्यमियों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन नवम्बर, 1990 में जादवपुर में हुए 'आइड्वा' के अखिल भारतीय सम्मेलन के आह्वान पर किया गया। सम्मेलन स्थल के रूप में किलेवेल्लूर गांव का चुनाव एकदम उपयुक्त था क्योंकि यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर जमींदारों के साथ दलित मजदूर (अधिकतर महिलाएं व बच्चे) के संघर्ष में 44 मजदूर शहीद हो गये थे। अतः इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व भी है।

सम्मेलन के आरंभ में कॉ० के० पी० जानकी अम्माल को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी जो तमिलनाडु आइड्वा की संस्थापक अध्यक्ष थीं तथा जिन्होंने मदुरई किसान सभा की अध्यक्षता के रूप में किसानों के अनेक शानदार संघर्षों का नेतृत्व किया। सम्मेलन कक्ष का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया

तमिलनाडु एग्रीकल्चरल वर्कज यूनियन के सचिव कॉ. चेलामुथु ने ध्वजारोहण किया तथा आश्वासन दिया कि सम्मेलन में रखे गये मांग पत्र को हासिल करने में पूरी मदद दी जायेगी।

'आइड्वा' की जिला सचिव कुंजीयम भारतीमोहन ने कॉ. जानकी अम्माल तथा कॉ. मानालुर मानिअम्मा की सेवाओं को याद किया जिन्होंने 1938 में इसी स्थान पर कृषि मजदूरों की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया था। एक कट्टर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कॉ. मानि अम्मा ने अपने आपको पूरी तरह से दलित मजदूरों के हितों के समर्पित कर दिया। कॉ. कुंजीयन ने कॉ. मानि अम्मा के संघर्षों को याद किया। कॉ. कुंजीयम ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि हालांकि इन महिलाओं ने किसान सभा के अनेक सम्मेलनों में शिरकत की है लेकिन उनकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

तमिलनाडु 'आइड्वा' के महासचिव पद्मा उमानाथ ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए याद किया कि यह वही स्थान है (निकटवर्ती तिरुवरूर कस्बा) जहां तमिलनाडु आइड्वा का पहला सम्मेलन हुआ था, जिससे सदस्यों को अथक प्रेरणा मिली थी।

तमिलनाडु, आइड्वा की सहायक सचिव, एस. सुधा ने ग्रामीण महिला उद्यमियों की समस्याओं के बारे में एक संक्षिप्त रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में निम्नलिखित मुद्दों पर प्रकाश डाला गया था :

(क) भूमि विभाजन, कृषि योग्य भूमि का दूसरे कामों में इस्तेमाल, भूमि के स्थान पर व्यावसायिक फसलों का उत्पादन, कृषि कामकाज का मशीनीकरण आदि का महिलाओं के वेतन तथा उनके रोजगार अवसरों पर पड़ने वाला प्रभाव।

(ख) बिना वेतन काम

(ग) शौचालय सुविधाओं का अभाव

(घ) स्वास्थ्य व शिक्षा

(ङ) जाति प्रथा

(च) महिलाओं के साथ हिंसा

(छ) सरकारी योजनाएं—महिलाएं किस हद तक लाभान्वित।

(ज) ग्रामीण महिलाओं द्वारा महिला संघ व किसान सभा में शामिल होने का महत्व।

सुधा ने इस बात पर बल दिया कि रिपोर्ट को वर्तमान परिस्थितियों व घटनाओं के उदाहरणों से समृद्ध बनाये जाने की आवश्यकता है तथा उन्होंने सदस्यों को आमंत्रित किया कि वे अपने विभिन्न जिलों के अनुभव बतायें।

109 प्रतिनिधियों में से 25 ने विचार-विमर्श में हिस्सा लिया। इन 109 प्रतिनिधियों में से 87 भूमिहीन तथा 25 छोटे किसानों में से थीं। इनमें से दो को 5/- रु० से कम, 25 को 10/- रु० से कम तथा 56 को 11/- रु० तथा 10/- रु० के बीच वेतन मिलता है।

विचार विमर्श में निम्नलिखित मुद्दे उभर कर आये :

1. ठेका प्रणाली ने महिलाओं के वेतन पर विपरीत प्रभाव डाला है तथा रोजगार उपलब्धता घटी है। यह प्रणाली समाप्त की जानी चाहिए।

2. चूंकि कटाई का काम पति-पत्नी द्वारा किया जाता है, अतः विधवाओं को काम देने से इनकार किया जाता है। उन्हें गांव के जलाशय में मछली पकड़ने की भी अनुमति

नहीं दी जाती।

3. ऐसे उदाहरण प्रकाश में आये हैं जब 'आइड्वा' के दबाव के कारण महिलाओं का वेतन बढ़ाया गया।

4. पानी खींचने के पम्प प्रायः खराब रहते हैं।

5. कुछ महिलाएं छः माह से बेरोजगार हैं।

6. ग्रामीण चिकित्सा पर्यवेक्षक ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते बल्कि अपना परिवार नियोजन सम्बन्धी कोटा पूरा करने के प्रयास में ही लगे रहते हैं। उनके पास पर्याप्त उपकरण नहीं होते तथा वे चाहते हैं कि परिवार के सदस्य उन्हें आवश्यक वस्तुएं प्रदान करें।

7. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है तथा चिकित्सक गरीब किसान महिलाओं की ओर ध्यान नहीं देते।

8. छुआछूत अब भी कायम है।

9. अत्यंत गरीबी के कारण महिलाओं को प्रसव के ठीक पहले तक काम करते रहना पड़ता है।

10. कैंसुरिना का अर्थ है महिलाओं के रोजगार में कमी।

11. न्यूनतम/समान वेतन की मांग करने के कारण महिलाओं को नौकरी से निकाल दिया गया। हालांकि महिलाएं पुरुषों से अधिक काम करती हैं, लेकिन फिर भी असमान वेतन की स्थिति बरकार है।

12. लगभग सभी महिलाओं ने पानी की कमी की शिकायत की है।

13. आठवीं कक्षा तक पढ़ी लड़कियां लिखने और पढ़ने में असमर्थ हैं। गांवों के स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहद खराब है।

14. बाहर के मजदूरों को स्थानीय मजदूरों से अधिक वेतन दिया जाता है।

15. मदिरापान की आदत से महिलाओं को अतिशय कष्ट झेलना पड़ रहा है। इसे रोकने के लिए आन्दोलन की आवश्यकता है।

16. संघर्षों में महिलाओं की गिरफ्तारी की अनेक घटनाएं प्रकाश में आयीं।

17. ग्रामीण महिलाओं को कुछ नहीं मिलता, चाहे कोई भी सत्ता में आये। उनका सम्मान नहीं किया जाता। जिस समय पट्टा दिया जाता है उस समय यदि पति गांव से बाहर हो तो उसकी पत्नी को पट्टा नहीं दिया जाता। अतः संयुक्त पट्टे की व्यवस्था अत्यावश्यक है।

तमिलनाडु आइड्वा की उपाध्यक्ष आर. कस्तूरी ने एक मांग पत्र प्रस्तुत किया। अनेक मांगें सामान्य किस्म की हैं तथा सम्मेलनों आदि में उन्हें एक निश्चित स्वरूप देना होगा। मैथिली शिवरामन ने विचार-विमर्श का समापन किया।

20 अप्रैल को मांग पत्र के समर्थन में जिला कलेक्टरेट के सामने प्रदर्शन करने का निर्णय किया गया।

सम्मेलन के बाद एक विशाल जन सभा हुई तथा गांव के बाजार में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

मांग पत्र :—

1. राज्य भर में न्यूनतम वेतन कानून का तुरन्त कार्यान्वियन।
2. समान काम के लिए समान वेतन।
3. जिन दिनों खेती का काम नहीं होता उन दिनों गांवों में विशेष रोजगार पैदा किये जायें। रोजगार के अवसर पैदा करने की सरकारी योजना में महिलाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाये।
4. 'कॉटेज इंडस्ट्री' पर विशेष ध्यान दिया जाये। महिलाओं के को-ओपरेटिव चालू किये जायें व उन्हें सुचारु रूप से काम करने में मदद दी जाये। उनकी वस्तुओं की खरीद के लिए सरकार मदद करे।
5. गांवों में बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं। महिला चिकित्सक का होना एक गंभीर आवश्यकता है। गांवों के भीतरी इलाकों के लिए चल-चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करायी जाये।
6. खेती व आवास की जमीन पति व पत्नी दोनों के नाम हो। जिन परिवारों में महिलाएं परिवार की मुखिया हैं वहां यह अधिकार उन्हीं तक सीमित रहे।
7. पानी की उचित व्यवस्था हो।
8. ग्राम पंचायतों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले।
9. वृद्धावस्था पेंशन तथा विधवा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद तबके को बिना किसी राजनीतिक भेद-भाव के मिलना चाहिए।
10. महिलाओं पर से बोझ कम करने के लिए घरेलू

उपयोग के लिए ईंधन की व्यवस्था होनी चाहिये। गोबर गैस परियोजनाओं पर सब्सिडी प्रदान की जानी चाहिए। सामाजिक नीतियों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

11. कृषि कार्य में रत महिलाओं के लिए क्रेच की व्यवस्था आवश्यक है।

12. गांवों में सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था होनी चाहिये जिनमें पानी की ठीक व्यवस्था हो।

13. सरकार को उर्वरक व कीटनाशक आदि उचित दाम पर मुहैया कराने चाहिये तथा किसानों की पैदावार का उचित मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए।

14. जन वितरण प्रणाली को और व्यापाक बनाकर उसमें सभी आवश्यक वस्तुओं का समावेश किया जाना चाहिये तथा प्रत्येक कार्ड पर कम से कम 20 किलो गेहूं मिलना चाहिए।

15. सभी गांवों में सड़क, बिजली, आवागमन व श्मशान गृह की सुविधा होनी चाहिये।

16. सभी जिलों में 100% साक्षरता के लिए तुरन्त अभियान चलाया जाना चाहिये।

प्रथम मई दिवस पर ऐलानौर मार्क्स का भाषण

हम यहां राजनैतिक पार्टियों का काम करने नहीं आये लेकिन हम यहां, मजदूर हितों के लिए उनकी सुरक्षा में, उनके अधिकारों के लिए आये हैं। मुझे याद है पहले पहल हम दर्जन भर लोग आठ घण्टे काम की मांग लेकर हाइड पार्क में आये थे। वे एक दर्जन लोग अब एक सौ तथा एक हजार में बदल गये हैं जिनके शानदार प्रदर्शन से यह पार्क भर गया है। हम आज एक और प्रदर्शन के सम्मुख खड़े हैं लेकिन मुझे खुशी है कि जनता हमारे साथ है। हममें से जो लोग डॉक हड़ताल तथा विशेषकर गैस मजदूर हड़ताल में शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने असंख्य नर-नारियों तथा बच्चों को अपने आस-पास देखा है, वे हड़तालों का पर्याप्त अनुभव ले चुके हैं। हमें आठ घण्टे काम के अधिकार को कानूनी प्रावधान द्वारा सुरक्षित करना होगा अन्यथा यह हम से मौका मिलते ही छीन लिया जायेगा। यदि हम इस अवसर का लाभ उठाकर विजय हासिल नहीं कर सके, जो इस महान दिवस ने हमें दिया है तो दोष हमारा ही होगा। यहां पार्क में माइकेल डैविट नामक एक व्यक्ति है जिसको एक बार श्रीग्लैडस्टोन ने कैद किया था, लेकिन आज उनके श्रीग्लैडस्टोन से अच्छे सम्बन्ध हैं। इस परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है? लिबरल पार्टी अचानक होम रूल के लिए क्यों बदल गयी। क्योंकि आयरिश जनता ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कंजर्वेटिवपार्टी के समर्थन में 80 सदस्यों को भेजा। इसी प्रकार हमें भी इन लिबरल व रैडिकल सदस्यों का बहिष्कार करना चाहिए, यदि वे हमारे कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते। मैं एक श्रमिक नेता के रूप में ही नहीं बल्कि एक समाजवादी के रूप में बोल रहा हूं। समाजवादियों का मानना है कि हमारा तत्काल लक्ष्य 'काम के आठ घंटे' है और हमारा उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था है जहां वर्ग भेद न हो तथा हर स्तर पर लोगों को बेरोजगारी से छुटकारा मिले। यह संघर्ष का अन्त नहीं बल्कि शुरुआत है। आठ घण्टे काम के समर्थन में यहां आकर प्रदर्शन कर देना काफी नहीं है। हम उन कुछ ईसाइयों के समान नहीं हैं जो छः दिन तक पाप करते हैं और सातवें दिन चर्च चले जाते हैं। हमें अपने लक्ष्य के लिए निरन्तर काम करना होगा खासतौर पर महिलाएं हमारे साथ आयें:

उठो, सिंह के समान
अपरिमित संख्या में,
झाड़ दो अपनी जमीन से बंधी जंजीरों को,
ओस की तरह,
जो निद्रा में तुम पर आ पड़ी है,
हम असंख्य हैं, वे सीमित!

महिलाएं सर्वाधिक प्रभावित होंगी

[हम 27-29 मार्च '92 के 'मेनस्ट्रीम' में प्रकाशित मधुमिता मजूमदार के उपर्युक्त लेख का अंश यहां प्रकाशित कर रहे हैं।—सं.]

यह एक विडम्बना ही है जबकि हमारे नेता महिलाओं व लड़कियों को बेहतर सामाजिक स्थितियां प्रदान करने की बात कर रहे हैं तभी विश्व बैंक व मुद्रा कोष के आदेश पर ऐसी नीतियां अपनायी जा रही हैं जो महिलाओं पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव डालेंगी। हमारे प्रधान मंत्री ने साहसपूर्वक घोषणा की है कि विश्व बैंक कुछ भी कहे खाद्यपदार्थों पर सब्सिडी समाप्त नहीं की जाएगी। बहरहाल उचित दर दुकानों पर मिलने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ गयी हैं तथा वे भविष्य में और बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर इन दुकानों के तथाकथित मालिकों द्वारा जमाखोरी व कालाबाजारी पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया है न ही इन दुकानों पर उपलब्ध वस्तुओं की गुणवत्ता की ओर कोई ध्यान दिया जा रहा है। इस तथ्य को देखते हुए कि वर्तमान भारत में परिवार व्यवस्था के संचालन में, महिलाओं की भूमिका ही सबसे महत्वपूर्ण है, उन्ही पर वर्तमान स्थितियों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा।

जनता से कमर कसने तथा राष्ट्रहित में कष्ट उठाने की अपील की गयी है। लेकिन जनता में महिलाएं भी शामिल हैं तथा भारतीय महिला से और कितनी कुर्बानी की उम्मीद की जा सकती है जबकि वह पहले ही भूखी रहकर अपने बच्चों को कुपोषण का शिकार होते देख रही है। समस्या यह नहीं है कि हमारे यहां माताओं को संतुलित भोजन की जानकारी नहीं है, जैसा कि यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा खुद हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय हमें समझाना चाहता है। असली समस्या अभावों की है।

अगर कोई चमत्कार हो और हमारी अर्थव्यवस्था शानदार स्थिति में पहुंच जाये, अगर आगामी दो वर्षों में औसत परिवारों का बजट शानदार हो जाये तो भी उन लाखों बच्चों का क्या होगा जो खराब स्वास्थ्य तथा कुपोषण के कारण बचपन में ही मौत के शिकार हो जाते हैं। संकट का कोई भी दौर महिलाओं तथा बच्चों के लिए सबसे कठिन होता है। यह बात सभी मानव निर्मित व प्राकृतिक विपदाओं पर लागू होती है। वर्तमान समय एक व्यथा का दौर है तथा भारतीय महिलाओं के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर उसके प्रभावों की स्मृतियां उनमें धुल नहीं सकतीं। आखिर महिलाएं हमारी जनसंख्या का आधा हिस्सा है।

भूख से बिलखते अपने बच्चे को देखने की महिलाओं की व्यथा ने इतने वर्षों से हमारे नेताओं पर कोई प्रभाव नहीं डाला और वह डा. मनमोहन सिंह को भी अधिक प्रभावित नहीं कर सकेगी। यहां-वहां कुछ जमीन के पट्टे दे देने तथा सिलाई मशीन व कम्बल बांटने से महिलाओं की समस्या हल नहीं हो जायेगी। जब तक हमारे राजनीतिज्ञों को अनपढ़ तबके पर अटूट विश्वास है तब तक तक वे उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। छोटी-छोटी राहतें प्रदान कर देना तथा समस्या के प्रति कोई चिन्ता महसूस न करना नेताओं की खुदगर्जी की निशानी है।

सरकारी सेवाओं तथा सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में बड़े पैमाने पर छंटनी की तलवार सबसे पहले महिला कामगारों पर गिरेगी। इसके साथ ही साथ स्व-रोजगार के अवसर प्राप्त करने वालों की कतार में महिलाएं सबसे पीछे होंगी। क्योंकि महिलाओं को आमतौर पर यही सिखाया जाता है कि सिलाई कढ़ाई कैसे की जाये तथा जैम आदि कैसे तैयार किये जायें। यह ऐसे उत्पाद नहीं हैं जिनके लिए कोई बाजार तैयार हो, न ही उनके वितरण आदि की व्यवस्था है। महिलाओं को अगर लकड़ी आदि के कामों जैसे प्रशिक्षण दिये जायें तो उन्हें रोजगार के योग्य बनाया जा सकता है। ऐसी वस्तुओं का एक तैयार बाजार है। लेकिन ऐसी योग्यताओं पर पुरुषों का ही एकाधिकार समझा जाता है। हमारे विकास का एक हानिकर पहलू यह है कि इसमें ग्रामीण महिलाओं को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी स्थिति से बेदखल कर दिया है। हालांकि महिलाओं ने सदा से अनाज संग्रह, जानवरों की देखभाल आदि जैसे खेती के कामों को संभाला है लेकिन खेती के आधुनिक तरीकों की शिक्षा केवल पुरुषों की दी जाती है। आने वाले समय में यह प्रवृत्ति जोर पकड़ेगी। कोई भी दिशा अपनाई जाये महिलाओं की सीमाएं और संकुचित होंगी।

विश्वव्यापी आर्थिक संकट व महिलाएं

नीना राव

(स्रोत : महिलाएं और विश्व आर्थिक संकट सोनिक/एन. जी. ओ. कार्यक्रम)

विश्वव्यापी आर्थिक संकट तथा कर्ज जाल के प्रभावों को तीसरी दुनिया की महिलाओं को समझना चाहिए। कर्ज की समस्या से निबटने के लिए तृतीय विश्व की सरकारों को कड़े फैसले लेने होंगे जो सबसे ज्यादा प्रभाव गरीबों व महिलाओं पर डालेंगे।

अस्सी के दशक में विश्व अर्थव्यवस्था में हुए नकारात्मक परिवर्तनों के कारण लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आयी। इसके अनेक कारण थे, जैसे—सत्तर के दशक में तेल की कीमतों में हुई वृद्धि, उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में गिरावट, जिसके कारण तृतीय विश्व के अनेक देशों को भुगतान संतुलन की समस्या का सामना करना पड़ा तथा बढ़ता हुआ संरक्षणवाद जिसके कारण तीसरी दुनिया के देशों को असमान व्यापार सन्तुलन की स्थिति का सामना करना पड़ा। इस संरक्षणवाद की कीमत अंतर्राष्ट्रीय सहायता से अधिक हो जाती है। इसके अतिरिक्त ब्याज की दर में 20% की वृद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा। इससे विकासशील देशों का बैलेंस जो 1979 में +38 बिलियन डालर था वह 1980 में —50 बिलियन डॉलर हो गया।

कर्ज की शर्तें

इस घाटे को पूरा करने के लिए तीसरी दुनिया के देशों की सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शरण में जाना पड़ा। मुद्रा कोष के कर्ज में निम्न शर्तें शामिल हैं—(क) सरकारी खर्च में व्यापक कटौती, (ख) रोजगार में कटौती, (ग) क्रेडिट कटौती तथा (घ) सब्सिडी समाप्त करना। इन सब उपायों से आय व श्रम शक्ति में कमी तथा कीमतों में वृद्धि होती है। यही वह कीमत है जो विकास के लिए गरीब तबको को चुकानी पड़ती है तथा विश्व अर्थव्यवस्था पर एक-दूसरे की निर्भरता के फलस्वरूप गरीब देशों की स्थिति और भी शोचनीय हो जाती है। उनकी मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है जिसके कारण आयात का खर्च बढ़ जाता है व निर्यात के लाभ में कमी आती है। इससे जनता की समस्याएं बढ़ जाती हैं। चूंकि जीवन स्तर गिरता है तथा आय का समान बटवारा नहीं होता लिहाजा गरीब वर्ग और गरीब होता जाता है। आज हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं वह विघटन के कगार पर है।

अफ्रीका व लैटिन अमरीका के देश कर्ज के जाल में फंस चुके हैं जबकि एशिया बस एक कदम दूर है। मुद्रा कोष ने भारत पर भी ऐसी ही शर्तें लगाई हैं। इनके परिणामस्वरूप गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ेगी तथा हमारी जैसी समाज व्यवस्था में पुरुष व महिला भेद-भाव भी बढ़ेगा। ढांचागत सुधार के कार्यक्रम अधूरे हैं, ये कार्यक्रम अत्यन्त मशीनी व छोटी अवधि के हैं। परिणामस्वरूप उनसे मूलभूत मानव अधिकारों व खासतौर पर कमजोर तबके के मौलिक अधिकारों में कटौती होती है। यदि हमें इस खतरे का मुकाबला करना है तो भारत सरकार को समाज के सभी प्रभावित होने वाले वर्गों से सलाह करनी चाहिए तथा सरकारी नीतियों में (अगर उन्हें सफल बनाना है तो) सामाजिक प्रतिबद्धता झलकनी चाहिए। इसके साथ ही सैनिक खर्च भी एक आर्थिक बोझ है। विकासशील देश सैनिक कार्यों पर शिक्षा व स्वास्थ्य से 30 प्रतिशत अधिक खर्च करते हैं। उनका 40% कर्ज सैनिक साज सामान के आयात के कारण होता है।

तृतीय विश्व के देश और कल्याण योजनायें

हमारे यहां गरीब तबके की सहायता के लिए कोई कल्याण योजनायें नहीं हैं जो विकास की कीमत अपने जीवन से चुकाता है, क्योंकि ये सुधार कार्यक्रम भूमिहीन किसानों, बेरोजगारों, मन्दरोजगार वालों व महिला प्रमुख परिवारों को प्रभावित करते हैं, जहां पहले ही साधनों की कमी है। सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को उनके जीने के अधिकार को नजरअंदाज करना है। महिलाओं को उन नीतियों के निर्धारण में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है जो उनकी सरकार उन पर थोपती

है। घरेलू महिलाएं कहती हैं कि विदेशी कर्ज में उनकी क्या भूमिका है ? क्या हमारे बच्चों ने जरूरत से ज्यादा खाया है ? क्या वे सबसे अच्छे कपड़े पहनते हैं ? क्या हमारा जीवन स्तर सुधरा है ? क्या हमारे वेतन बढ़े हैं ? ये सब लाभ किसको मिले हैं ? इस कर्ज की भरपाई हम ही क्यों करें ?

ढांचागत सुधारों ने उत्पादन की प्रक्रिया में महिलाओं की सार्थक भूमिका को बढ़ावा देने के बजाय गरीब परिवारों की क्रय शक्ति घटाकर उनकी आर्थिक भागेदारी में बाधा ही उत्पन्न की है। इस सबके अतिरिक्त मूलभूत मानव सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा बाल विकास में लगातार कमी हो रही है। (शिक्षा के खर्च में कटौती 10.5 प्रतिशत तक स्वास्थ्य में 13.3 प्रतिशत तक पहुंच गयी है।)

गरीब वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में महिला संगठनों व श्रम संगठनों को वैकल्पिक नीतियाँ सुझानी होंगी। कुछ मूलभूत सिद्धांत इस प्रकार होने चाहिए।

1. गरीब वर्ग को भूमि व कुशलता प्रदान की जाये।

2. स्वास्थ्य, पानी, सफाई व शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को बरकरार रखा जाये।

3. राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर पर फैसले लेने की प्रक्रिया में महिलाओं को शामिल किया जाये।

ज्यूलियस न्येरेरे के शब्दों में, "दक्षिण में सामाजिक तनाव तथा आर्थिक संकट 1980 के दशक की प्रमुख विशेषता बन गयी है (तथा) एक नयी विचारधारा पैदा हुई है कि छंटनी व सुधारों के नाम पर लोगों के अधिकार छीनने की प्रवृत्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गयी है। ए.सी.एच.आर.ओ. के महासचिव सी. जे. दियास चेतावनी देते हैं कि, "संसाधनों की कमी से गरीब वर्ग के मानवाधिकारों में गंभीर बाधा उपस्थित होती है। अतिशय गरीबी तथा उससे जुड़ी हुई, शक्तिहीनता तथा निर्भरता की समस्याएं मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का कारण बनती हैं। वर्तमान आर्थिक विकास समस्या को घटाने की बजाय और बढ़ा दिया है।

हमने इस चेतावनी की सच्चाई अमीना के मामले, गया के नरसंहार व ऐसे अन्य मामलों में देखी है।

विघटन व ठहराव की दशकों से चली आ रही स्थिति के परिणामस्वरूप संकट से जूझने की अनेक लोगों की क्षमता घटी है। वर्षों के कुपोषण, स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल के अभाव व शिक्षा की सुविधाओं की कमी के कारण अब ऐसी स्थिति आ गयी है कि भविष्य की श्रम शक्ति को स्थायी शारीरिक व मानसिक क्षति पहुंच चुकी है। इन खतरनाक परिस्थितियों में हमें यह समझना होगा कि हमारे यहां महिलाओं का निचला दर्जा समाज की एक गंभीर बुराई है। कर्ज की समस्या के समाधान के लिए अंतराष्ट्रीय आर्थिक ढांचे में मूलभूत परिवर्तन आवश्यक हैं। हमें विकास के एक ढांचे की आवश्यकता है सभी राष्ट्रों व सभी व्यक्तियों की समानता सुनिश्चित की जा सके। अतः कर्ज की समस्या के समाधान के तौर पर अपनाये जा रहे वर्तमान उपाय स्थायी नहीं हैं तथा उनसे इस बात की गारंटी नहीं मिलती कि ऐसा ही संकट पुनः लौटकर नहीं आयेगा।

नयी आर्थिक नीति को लागू होने देकर हम अपनी सम्प्रभुता खो रहे हैं। यही नहीं, हम विश्वव्यापी आर्थिक संकट का बोझ अपनी जनता के सबसे कमजोर तबके; जिसमें महिलाएं शामिल हैं; पर डाल रहे हैं।

उपलब्ध है :

ट्रेड यूनियन आंदोलन

पर

बी० टी० रणदिवे

(अंग्रेजी में)

खंड 1, 2 और खंड 3

मूल्य : प्रति खंड : 60 रु० (पेपर बैक)
100 रु० (सजिल्द)

खंड 1, 2, 3 का सेट—135 रु. (पेपर बैक)
" —225 रु. (सजिल्द)

अपनी प्रतियों के लिए लिखें :

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स,
6, तालकटोरा रोड, नयी दिल्ली-110001

मद्रास में प्रथम महिला जिला सम्मेलन
(ए. आई. डब्ल्यू. डब्ल्यू. सी. सी.)

ए. आई. डब्ल्यू. डब्ल्यू. सी. सी. का प्रथम महिला जिला सम्मेलन 12.4.92 को केरल समाजम में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। सम्मेलन की कारवाई का संचालन एक अध्यक्ष मंडल ने किया जिसमें काॅ. देवी परमेश्वरी तथा काॅ. प्रेमा शामिल थीं। संगठित व असंगठित क्षेत्र के 27 संगठनों की 275 प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल हुईं।

काॅ. उमा माहेश्वरी ने सम्मेलन की रिपोर्ट रखी जिसमें मद्रास व उसके आस-पास की गतिविधियों की जानकारी दी गयी थी। तदोपरान्त प्रतिनिधि सत्र आरम्भ हुआ जिसका उद्घाटन काॅ. मैथिली शिवरामन (राज्य संयोजक) ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि हालांकि महिलाएं अलग-अलग स्तरों पर काम कर रही हैं, लेकिन उनकी समस्याएं समान हैं। ऐसे सम्मेलनों से उनमें एकता पैदा होगी ताकि वे अपनी मांगें मनवा सकें। संवैधानिक दृष्टि से पुरुष व महिला समान हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है···? उन्होंने सरकार के दोहरे रवैये का उल्लेख किया। एक ओर असमान आर्थिक, श्रम संबंधी, व्यापारिक व सामाजिक नीतियों द्वारा महिलाओं का शोषण हो रहा है तो दूसरी ओर सरकार रोजगार में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कहती है।

रिपोर्ट पर हुई बहस में विद्युत बोर्ड की काॅ मीराबाई, बीमा उद्योग से काॅ. ललिथा, वस्त्रोद्योग से काॅ. शांति, इलेक्ट्रोनिक्स से काॅ. सी. सुधा, कुणाल इंजीनियरिंग से काॅ. पारिमलवली, आई. सी. डी. एस. से काॅ. सुकुमार, चमड़ा उद्योग से काॅ. ललिथा, रैनी हाॅस्पिटल से काॅ. मोहना, राज्य सरकार अस्थाई कर्मचारियों की ओर से काॅ. भंडारीबाई, आयकर विभाग से काॅ. गजलक्ष्मी, कल्पना इण्डस्ट्रीज से काॅ. सीनियम्मा, प्राइवेट स्कूल अध्यापकों की ओर से काॅ. कंजना ने हिस्सा लिया।

'आइद्वा' की संयुक्त सचिव काॅ. वासुकि तथा सीटू की राज्य कोषाध्यक्ष काॅ. जानकीरमन ने सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनके संगठन सहयोग करेंगे तथा जिला समितियों के तेजी से विकास में मदद करेंगे।

क्रेच, होस्टल, परिवहन सुविधा, तबादले, समान वेतन तथा नयी आर्थिक व औद्योगिक नीति को वापस लेने की मांग को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किये गये।

सम्मेलन के अन्त में एक 21 सदस्यीय जिला समिति का गठन किया गया। काॅ. एल. उमा माहेश्वरी तथा टी. वी. लता को क्रमशः संयोजक व सहायक संयोजक चुना गया। भारत में व्याप्त विकट परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष में संगठित संघर्ष ही एक मात्र हथियार है। इस विचार के साथ सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

प्रधानमंत्री ने आंगनवाड़ी कर्मियों की मानदेय राशि बढ़ाने का आश्वासन दिया

प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों तथा सहायकों की मानदेय राशि में बढ़ोत्तरी करने का आश्वासन दिया है। 13 मई को आंगनवाड़ी कर्मचारियों तथा सहायकों की संयुक्त संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधिमंडल को उन्होंने यह आश्वासन दिया। सांसद समर मुखर्जी इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। प्रतिनिधि मंडल में उनके अलावा सीटू नेता विमल रणदिवे तथा रणजीत बसु, एन एफ टी यू के बी के प्रसाद तथा राजकुमारी और एटक के पास के सान्याल आदि शामिल थे।

प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री को आंगनवाड़ी कर्मचारियों की दयनीय हालत की जानकारी दी और उन्हें उनकी मांगों से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान मंत्री को बताया कि ये महिलाएं मात्र 250-275 तथा 110 रु० मानदेय राशि पा रही हैं और महंगाई के इस दौर में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस राशि से क्या आता होगा। पिछले कुछ सालों से उनकी मानदेय राशि बढ़ाने की मांग उठायी जाती रही है और इस दौरान केन्द्र में सत्तारूढ़ हुई चार विभिन्न सरकारों ने

[शेष पृष्ठ 18 पर]

बच्ची से बलात्कार : विघटनोन्मुख समाज की निशानी

बच्चियों, विशेषकर दस वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार एक आम खबर बनती जा रही है। बलात्कार कानून दोषियों के अपराध को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी शोषित पर ही डालता है। अदालत, महिला संगठन, व चिकित्सा विभाग अब इस प्रक्रिया को इतना खींच देते हैं कि एक ओर अपराध प्रमाणित होना असंभव हो जाता है दूसरी ओर शोषित व्यक्ति को और सदमा पहुंचता है। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के समाजशास्त्री आनन्द सिंह कहते हैं कि "यह किसी एक तबके में ही व्याप्त नहीं है। इससे शहरी समाज का अपनी जड़ों से कट जाना अभिव्यक्त होता है।"

जनवादी महिला समिति, दिल्ली की महासचिव इन्द्रानी मजूमदार कहती हैं—"ऐसे अनेक मामले अदालत में लटके पड़े हैं। अपराधी जमानत पर खुले घूम रहे हैं।" हाल ही में मीट की दुकान के मालिक मो० शाहिद को सात वर्ष की एक बच्ची से बलात्कार करने के अपराध में न्यायालय ने 10 वर्ष की बामशक्कत कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा 500/- रु० का जुर्माना भी किया गया। आश्चर्य जनक रूप से उसके वकील ने नरमी बरतने की अपील की क्योंकि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन सैशन जज ने कहा कि कम से कम सजा 10 वर्ष है तथा नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है।

शाहिद ने अपने पड़ोस की एक छोटी बच्ची से बलात्कार किया था। उसने बलात्कार के बाद उस बच्ची को कुछ घण्टों तक ट्रंक में बन्द रखा और चुप रहने के लिए काफी धमकियां देने के बाद छोड़ा।

यह बलात्कार करने वाले किसी व्यक्ति की आम मानसिकता है। मैट्रोपोलिटिन शहरों में जहां महिलाएं नौकरी पर जाती हैं, बच्चियों को स्कूल भेजने की बजाय छोटे बच्चों की देखभाल के लिए घर छोड़ जाती हैं। बलात्कार के बाद इन बच्चियों को मार दिया जाता है, गंभीर चोटें पहुंचाई जाती हैं या फिर धमकाकर चुप कर दिया जाता है। ऐसे अनेक मामले हैं जो प्रकाश में नहीं आ सके। इसी प्रकार अदालत में पहुंचे प्रत्येक मामले में दोषियों को सजा नहीं मिल पाती।

हमारी वर्तमान वीडियो संस्कृति में नव युवकों के दिमाग में महिलाओं की छवि सेक्स उपादान के तौर पर बनाने की कोशिश की जाती है। अश्लील पुस्तकों तथा विदेशी व भारतीय फिल्मों में अपराध को महिमामंडित करते हुए अपराधियों को 'हीरो' के रूप में पेश किया जाता है, न केवल छेड़छाड़ व महिलाओं को तंग करने की घटनाएं बढ़ी है, बल्कि बलात्कार जैसा जघन्यतम अपराध भी बढ़ा है। इनमें अधिकतर लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से कम है।

ऐसी स्थिति में हमें केबल तथा वीडियो नेटवर्क को रोकना होगा तथा बलात्कार कानून में संशोधन करना होगा ताकि अपराधियों को सजा मिल सके। यह सच है कि अपनी अक्षमता के कारण पुलिस व्यवस्था ऐसे अपराधों को रोकने में नाकाम रही है। ऐसी समस्याओं का मुकाबला समाजशास्त्रियों व मनोवैज्ञानिकों को समस्या की जड़ को पकड़ते हुए करना होगा। इसके लिए बच्चों तथा समाज को शिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि समाज अपनी जिम्मेदारी समझ सके।

(पृष्ठ 17 का शेष)

सिवा वादे करने या इस परियोजना को ही बन्द कर देने की धमकी देने के अलावा इस दिशा में कुछ भी नहीं किया।

प्रधानमंत्री ने गौर से प्रतिनिधिमंडल की बातें सुनी और कहा कि केन्द्र सरकार तथा योजना आयोग इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना देहात-आधारित है और कर्मचारियों को कुछ लाभ मिलने ही चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन महिलाओं को राहत देने के लिए वह अवश्य कुछ करेंगे और खुद इस मामले को देखेंगे।

कामकाजी महिला अखिल भारतीय समन्वय समिति की १२.३.९२ को नागपुर में हुई बैठक के निर्णय

सीटू की सेंट्रल काउंसिल मीटिंग के साथ ही 12.3.92 को नागपुर ए. आई. सी. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. की बैठक हुई। बैठक 10.00 बजे आरंभ हुई तथा सायं 8.00 बजे तक चली जिसमें बीच में एक घण्टे का भोजनावकाश भी शामिल था मसौदा पहले ही सदस्यों के बीच वितरित कर दिया गया था। विभिन्न राज्यों के निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित थे :

1. एल. उमा माहेश्वरी, 2. देवी परमेश्वरी, 3. के धन लक्ष्मी (तमिलनाडु), 4. आर. के भानुमति, 5. सोनी कामथ 6. वी. वी. प्रसन्नकुमारी तथा 7. एम. के. कमलम्मा (केरल), 8. सुरेन्द्र मिश्रा, 9. सरिता सिन्हा 10. गीता झा (बिहार), 11. सरोज बाला (हरियाणा) 12. मंजुलिका बसु (त्रिपुरा), 13. वी. सरोज 14. के हेमलता, 15. एस. पुण्यवती, (आंध्र प्रदेश) 16. संध्या शैली (मध्य प्रदेश), 17. किरण मोघे (महाराष्ट्र), 18. दिपाली बोस 19. गौरी भट्टाचार्य 20. शिबानी सेनगुप्त, 21. निशा रॉय 22. रोमिला भट्टाचार्य 23. पी. गांगम्मा (प० बंगाल), 24 रमणिका गुप्ता (बिहार)।

कॉ० विमल रणदिवे तथा कॉ० अहिल्या रांगनेकर केन्द्र की ओर से बैठक में शामिल थीं।

सीटू की ओर से कॉ० आर. उमानटा ने बैठक में शामिल हो कर विचार विमर्श में हिस्सा लिया।

बैठक में कॉ० गिरिजा पोट्टी व कॉ० जानकी अम्माल के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। इन दोनों महिला नेताओं ने पार्टी व कामकाजी महिलाओं के हितों के लिए अथक परिश्रम किया। कॉ० विमल रणदिवे ने उनके योगदान पर प्रकाश डाला।

इसके बाद कॉ० विमल रणदिवे ने सदस्यों के मध्य रिपोर्ट रखी जिसे पहले ही वितरित कर दिया गया था।

तदोपरान्त उन्होंने पिछली बैठक और वर्तमान बैठक के बीच की अवधि में राज्य समन्वय समिति द्वारा किये गये कामकाज का जायजा लिए। जहाँ एक ओर उन्होंने एल. आई. सी., सी. आई. सी., बैंक व राज्य सरकार कर्मचारियों की यूनियनों के सहयोग से मध्यम वर्गीय महिला कर्मचारियों के बीच हासिल की गयी उपलब्धियों का जिक्र किया वहीं दूसरी ओर उन्होंने उन स्थानों पर सीटू यूनियनों में उत्साह की कमी की ओर भी इशारा किया जहाँ हमारे वर्ग की महिला कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके बाद उन्होंने समन्वय समिति के कामकाज में हुई प्रगति के बारे में बतलाते हुए आई. सी. डी. एस. के पांच श्रम संगठनों की संयुक्त संघर्ष समिति के गठन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि कृषि, आंगनवाड़ी, वस्त्रोद्योग, बीड़ी व निर्माण उद्योग में कार्यरत महिलाओं की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना दिया जाना चाहिए था। सीटू नेतृत्व में अभी भी बुर्जुआ प्रवृत्ति मौजूद है जिसके खिलाफ महिलाओं को संघर्ष करना है। भविष्य के कार्यक्रमों के बारे में बोलते हुए उन्होंने आगामी हड़ताल की अपील पर बल दिया तथा कहा कि कांग्रेस सरकार की वर्तमान आर्थिक व विदेश नीति के खिलाफ संघर्ष करने व देश को अमरीकी साम्राज्यवाद के हाथों बेचे जाने से बचाने के लिए हमें अपनी पूरी शक्ति इस ओर केन्द्रित करनी होगी।

बहस में हस्तक्षेप करते हुए कॉ० आर. उमानाथ ने वर्तमान परिस्थिति की राजनैतिक व आर्थिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। 29 नवम्बर की हड़ताल के बाद सरकार वर्तमान नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। इस संदर्भ में उन्होंने प्रधान मंत्री द्वारा इजारेदारों की बैठक में भाग लेने के लिए की गयी स्विट्जरलैंड की यात्रा का उल्लेख किया। ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ समझती हैं कि उनकी सहायता के बिना भारत जीवित नहीं रह सकेगा तथा भारत को पूरी तरह से विश्व बैंक, मुद्रा कोष तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नियन्त्रण में लाने के लिए दबाव डाला जा रहा है।

भाजपा व अन्य सांप्रदायिक ताकतों ने भी मजदूर वर्ग के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी रख दी है।

उन्होंने कहा कि आज हमारा प्रमुख काम असंगठित महिलाओं को संगठित करना है। उन्होंने कहा कि केवल

एक तबके को संगठित करने से अब काम नहीं चलेगा। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कॉ० बी.टी.आर. की याद दिलाई जो हमेशा इन अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करने की बात किया करते थे। उन्होंने विभिन्न समितियों में महिलाओं को शामिल किये जाने की बात कही। तत्पश्चात् उन्होंने 2 अप्रैल के कार्यक्रम व श्रम संगठनों के सम्मेलनों के बारे में बताते हुए अपनी बात समाप्त की जिनसे हड़ताल व भारत बन्द के उद्देश्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।

तमिलनाडु की कॉ. उमा माहेश्वरी प्रथम वक्ता थीं। ए. आई. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. की पिछली बैठक के बाद से राज्य समन्वय समिति द्वारा किए गए कामकाज का लेखा-जोखा करने के बाद उन्होंने कहा कि जी. आई. सी. की अधिकांश महिलाओं ने 29 नवम्बर की हड़ताल में भाग लिया। सदस्यता भी 60 से बढ़कर 500 हो गयी। उन्होंने विचार प्रकट किया कि हमें स्वयं अपना कार्यक्रम तैयार करके महिलाओं को संगठित करने का काम करना चाहिये। जहाँ तक आंगनवाड़ी महिलाओं का प्रश्न है, उनकी अपनी यूनियनें हैं, जो टी. एन. जी ए. के दिशा निर्देश में काम कर रही हैं तथा उन्होंने कार्यक्रमों में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया।

केरल की कॉ. प्रसन्नकुमारी ने कहा कि मजदूर वर्ग तथा मध्यम वर्गीय महिलाओं के बीच की दूरी को पाटने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सीटू की ओर से पर्याप्त मदद नहीं मिल रही है। सी.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू. की पिछली बैठक में कोई राज्यस्तरीय नेता शामिल नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि दरअसल पिछली बैठक के बाद राज्य में कामकाज नगण्य रहा, आंगनवाड़ी यूनियन काम नहीं कर रही है। उन्होंने त्रिवेन्द्रम स्थित कामकाजी महिलाओं के होस्टल का जिक्र किया जिसमें कॉ. गिरिजा पोट्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। केरल में इतने वर्षों तक काम करने के बाद भी, सीटू नेतृत्व के साथ ढंग का तालमेल नहीं बन पाया है। उन्होंने विचार प्रकट किया कि अंतर-राष्ट्रीय मुद्दों पर और प्रकाश डाला जाना आवश्यक है।

मध्यप्रदेश की का. संध्या शैली ने कहा कि आंगनवाड़ी महिलाओं की एक अस्थायी समिति गठित की गयी है तथा महिलाओं के एक सम्मेलन की योजना है। उन्होंने कहा कि सीटू द्वारा फैसले लिए जाने से प्राथमिकतायें बदल जाती हैं तथा जहां 'सीटू' कमज़ोर होती है, वहां समन्वय समिति भी कमज़ोर रहती है। अतः अलग कार्यक्रम बनाकर स्वतंत्र रूप से काम करना मुश्किल था।

महाराष्ट्र की का. किरण भोगे मुख्यतः आंगनवाड़ी के कामकाज के बारे में बोलीं। इसकी सदस्यता 3000 के लगभग है तथा यह सीटू से सम्बद्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के प्रत्येक कार्यक्रम में महाराष्ट्र की सदस्याओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। महाराष्ट्र में अनेक विदेशी सस्थाएं आंगनवाड़ी परियोजनाओं के लिए धन दे रही हैं और संभव है कि ये परियोजनाएं विदेशी हाथों में चली जायें अतः उनके निजीकरण की नीति का विरोध करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सीटू की मदद की आवश्यकता है।

त्रिपुरा की कॉ. मंजुलिका बसु ने त्रिपुरा में हुए काम काज जिसमें एक चाय व जूट उद्योग की महिलाओं का सम्मेलन भी शामिल है—के बारे में एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की।

पश्चिम बंगाल की कॉ० शिबानी ने पश्चिम बंगाल में समन्वय समिति तथा जिलों में उप समितियों के गठन के बारे में जानकारी दी। महिलाओं को संगठित करने का काम जारी है तथा चूंकि हमारे राज्य में व्यापक जनाधार है, अतः हमने यह काम हाथ में लिया है। आंगनवाड़ी यूनियन अत्यंत शक्तिशाली है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सी. यू. डी. पी. में वेतन केवल 200-250-300 रु. है। समिति कामकाजी महिलाओं को संगठित करने के लिए यथाशक्ति काम करेगी। आंध्र प्रदेश की कॉ. हेमलता ने एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि हमारे सक्रिय न रह पाने का प्रमुख कारण सीटू नहीं है। वे हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं लेकिन दूसरी ओर से संकोच व हीन-भावना हमारी बाधा हैं। उन्होंने कहा कि 29 नवम्बर की हड़ताल में महिलाओं ने भाग लिया।

बिहार की कॉ. सरिता सिन्हा ने बिहार में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा की गयी 80 दिन की हड़ताल के बारे में विस्तार से समझाया जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। अब एक आयोजन समिति का गठन कर लिया गया है। अप्रैल 1991 में हुए एल. आई. सी. व जी. आई. सी. सम्मेलन के बारे में जानकारी देकर कॉ. गीता झा ने भी रिपोर्ट को समृद्ध बनाया। उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों में महिलाओं की संख्या 7 नवम्बर के कार्यक्रम से अधिक थी।

हरियाणा की कॉ. सरोज बाला ने कपड़ा, वर्कशॉप

व आंगनवाड़ी की 13 महिलाओं की एक अस्थायी समिति के गठन के बारे में बताया।

केरल की कॉ. भानुमति ने 'रुपये के अवमूल्यन' पर आयोजित की गयी संगोष्ठी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि सभी यूनियनों की महिला शाखायें हैं। 29 नवम्बर की हड़ताल में महिलाओं ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि चूंकि लगभग सभी सदस्यों ने कहा कि सीटू समितियाँ कामकाजी महिलाओं के प्रति उदासीन हैं, अत: इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा केन्द्र को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।

केरल की ही कॉ. एम. के. कमलाम्मा, जो कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, बताया कि बीड़ी आदि असंगठित क्षेत्रों में लाखों महिलाएं कार्यरत हैं तथा उन्हें एक समन्वय समिति के रूप में संगठित किया जाना आवश्यक है।

दुर्गापुर (प. बंगाल) की कॉ. दीपाली बोस ने कहा कि कामकाजी महिलाओं के सामने पहला काम साम्राज्यवादी घुसपैठ से देश को बचाना है।

आंध्रप्रदेश की कॉ. पुष्पावती ने हैदराबाद सम्मेलन में बताया कि हैदराबाद, मछलीपटनम तथा विजाग में तीन समितियां हैं। लेकिन नेतृत्व उभरकर नहीं आ रहा है। यही समस्या है।

बिहार की कॉ. सुरेन्द्र मिश्रा ने नर्सों की समस्याओं के बारे में कुछ मुद्दे उठाये। कोयला उद्योग की यूनियन में कार्यरत कॉ. रमणिका गुप्ता ने बताया कि वे लोग किस प्रकार महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वे ईंट भट्ठा महिला मजदूरों को संगठित करेंगी।

कॉ. अहिल्या रांगनेकर ने गुजरात में मुअत्तली के खिलाफ संघर्ष तथा मिलबन्दी की समस्या के बारे में बताया। महिलाओं को कम वेतन प्रदान किया जाता है तथा वे शोषण का शिकार बन गयी हैं। बम्बई म्युनिसपैलिटी में महिलाओं को इस शर्त पर रोजगार प्रदान किया जाता है कि वे विवाह नहीं करेंगी।

ए.आई.सी.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू की बैठक का विचार-विमर्श बहुत ही जीवंत तथा महिलाओं की समस्याओं व राज्यों में उनके बीच होने वाले काम की कमजोरियों को समझने में बेहद सहायक रहा। बहस का जवाब देते हुए कॉ. विमल रणदिवे ने समिति की सदस्याओं के सुझावों को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि राज्यों के काम-काज की केन्द्र को लगातार रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए। अन्य मुद्दों, जैसे सीटू द्वारा पहल करने के बारे में कहा कि इन प्रश्नों के बारे में सम्बद्ध राज्यों व सचिव मंडल में विचार किया जायेगा।

भविष्य के कार्यक्रम के बारे में, विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित फैसले लिए गये :

1. जैसा कि राज्य समन्वय समितियों ने फैसला किया है, समन्वय समितियों को सक्रिय बनाने के लिए राज्य स्तरीय सम्मेलन।

2. कृषि, वस्त्रोद्योग, हैण्डलूम, बीड़ी, ईंट भट्ठा व निर्माण उद्योगों में महिलाओं के बीच प्रचार अभियान को गंभीरतापूर्वक चलाना। प० बंगाल को निर्माण उद्योग में कार्यरत महिलाओं का अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाना चाहिए। पश्चिम बंगाल इसके लिए तैयार हो गया।

3. कानूनों के बारे में महिलाओं के लिए जुलाई माह में अध्ययन कक्षा आयोजित किया जाना। बंगलौर ने इस आयोजन की जिम्मेदारी ली है।

4. राज्य व ए.आई.सी.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू के बीच करीबी सम्बन्धों के जरिये केन्द्र को मजबूत बनाना।

5. 'वॉईस ऑफ वकिंग वोमैन' तथा 'कामकाजी महिला' का वितरण बढ़ाना व जहां तक संभव हो उनका पूरा भुगतान करना।

6. आंगनवाड़ी के कामकाज में सीटू की मदद मिलनी चाहिए।

अंत कॉ. उमानाथ साथियों द्वारा उठाये गये कुछ मुद्दों का समाधन किया। उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल का कार्यक्रम एक बड़ा कार्यक्रम होगा तथा इसमें महिलाओं को बड़ी संख्या में भाग लेना चाहिए। उन्हें कार्यक्रम में शामिल करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाये जाने चाहिए। श्रम संगठनों के फैसले के मुताबिक उस दिन आम हड़ताल रखी जायेगी तथा महिलाओं को सरकार की आर्थिक नीतियों, रेल बजट के प्रस्तावों, पीने के पानी की समस्या व महिलाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर लामबन्द करने के प्रयास किये जायेंगे।

उन्होंने कहा कि हमारा प्रमुख उद्देश्य यूनियनों को अलग-अलग मुद्दे उठाने उन पर नहीं बल्कि समन्वय समिति के माध्यम से मिलकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित करें। हमें महिलाओं को यूनियन के कामकाज की ओर आकर्षित करने व उन्हें नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित

[शेष पृष्ठ 24 पर]

शानदार आम हड़ताल

एम के पंधे

सरकारी प्रचार माध्यमों के सारे झूठे प्रचार और केन्द्रीय श्रम मंत्री पी ए संगमा के तमाम झूठे दावों के बावजूद सच्चाई यही है कि भारतीय ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति द्वारा 16 जून की आम हड़ताल के आह्वान को देश भर में मजदूर वर्ग ने जबर्दस्त समर्थन दिया है। इस हड़ताल का दायरा 29 नवम्बर 1991 को हुई पिछली आम हड़ताल के मुकाबले कहीं बहुत बड़ा था और उस हड़ताल के मुकाबले अनेक नये हिस्से 16 जून की इस हड़ताल में शामिल हुए थे।

मिसाल के तौर पर, प्रतिरक्षा उद्योग पिछली हड़ताल में शामिल नहीं हुए थे, जबकि 16 जून की इस हड़ताल में देश भर में प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों, गोलाबारूद फैक्टरियों आदि के मजदूरों ने हड़ताल को अपना दृढ़ समर्थन दिया और इन प्रतिष्ठानों में हड़ताल लगभग मुकम्मल रही।

देश भर में लगभग 10 लाख बैंक कर्मचारियों तथा अफसरों ने काम बंद रखा और देश भर में बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह ठप्प रहीं। देश में कहीं भी बैंकों में किसी भी तरह के कामकाज की खबर नहीं है और इस उद्योग में हड़ताल-तोड़क भी हड़ताल पर कोई असर नहीं डाल सके। इसी प्रकार बीमा क्षेत्र में देश के सभी राज्यों में मुकम्मल हड़ताल रही और जीवन बीमा तथा साधारण बीमा, दोनों में ही कामकाज गंभीर रूप से प्रभावित हुआ।

उधर एयर लाइंस के क्षेत्र में पहली बार ऐसी जबर्दस्त हड़ताली कार्रवाई देखने को मिली। सवारियों, मालों के लदान-उतरान तथा व्यापारिक सौदों से सम्बद्ध एयर लाइंस स्टाफ के अलावा टेकनीकल स्टाफ भी हड़ताल पर रहा। यहां तक कि कंट्रोल टावरों का काम देखने वाले राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के कर्मचारी तक हड़ताल पर रहे और हवाई अड्डों में तेल प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले कर्मचारी तक काम पर नहीं पहुंचे। लिहाजा, एयर इंडिया को अनेक उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जबकि अन्य उड़ानों का समय बदलना पड़ा और कुछ मामलों में तो ग्यारह-ग्यारह घंटे तक की देरी हुई।

29 नवम्बर की हड़ताल के दौरान केन्द्र सरकार कर्मचारियों ने सिर्फ एक घंटे की हड़ताल की थी। लेकिन इस बार डाक-तार आर एम एस, इनकम टैक्स तथा आडिट विभाग के कर्मचारियों ने देश के अनेक हिस्सों में हड़ताल के नोटिस दिये और बाकायदा हड़ताल में शिरकत की। इस तरह पहली बार लगभग 30 फीसद केन्द्र सरकार कर्मचारियों ने हड़ताली कार्रवाई में हिस्सा लिया।

इसी प्रकार अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी फेडरेशन के अनुसार देश भर में 30 लाख से ज्यादा राज्य सरकार कर्मचारियों ने इस हड़ताल में शिरकत की। पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, असम, आंध्र तथा राजस्थान में राज्य सरकार कर्मचारियों की मुकम्मल हड़ताल रही, जबकि मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु में कर्मचारियों के प्रचंड बहुमत ने हड़ताल में हिस्सा लिया। उधर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोआ तथा गुजरात में हालांकि हड़तालें आयोजित करना संभव नहीं हुआ, बहरहाल राज्यव्यापी प्रदर्शनों का आयोजन जरूर हुआ। शेष राज्यों में भी आंशिक हड़ताल होने की खबरें हैं।

देश के आठ राज्यों में स्थित पांचों सार्वजनिक क्षेत्र उर्वरक इकाइयों और उनके सभी 12 कारखानों में मुकम्मल हड़ताल रही और इस उद्योग के 30,000 से ज्यादा कर्मचारियों तथा अफसरों ने हड़ताल में हिस्सा लिया।

कोयला उद्योग में ईस्टर्न कोल्स लिमिटेड (ई सी एल) मुकम्मल हड़ताल रही, जबकि बी सी सी एल तथा सी सी एल में 70 फीसद से ज्यादा मजदूर हड़ताल पर रहे और आंध्र में सिंगरेनी कोलियरी में भी सवा लाख कर्मचारियों ने हड़ताल में हिस्सा लिया। इस उद्योग में इंटक ने भी इन्हीं मांगों को लेकर 8 जून को हड़ताल आयोजित करने के लिए नोटिस दिया था। लेकिन, इसे मांगें पूरी हुई बिना ही अपना वह आह्वान वापस लेना पड़ा था। विक्षुब्ध कोयला मजदूरों ने ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति के हड़ताल के आह्वान को अपना जोरदार समर्थन

[शेष पृष्ठ 24 पर]

कामरेड मनोरंजन राय नहीं रहे

'कामकाजी महिला' वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता और विलक्षण ट्रेड यूनियन नेता का. मनोरंजन राय के निधन पर गहरा शोक प्रकट करती है। का. राय सी.पी.एम. पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के सदस्य थे, वह पार्टी की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के सेक्रेटेरियट के सदस्य थे और पं बंगाल सीटू के अध्यक्ष थे। उनका निधन 13 जून को दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ। इस समय वह कलकत्ता में सीटू कार्यालय में एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। का. राय 83 वर्ष के थे।

अपने विद्यार्थी जीवन में ही का. मनोरंजन राय स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो गये और क्रांतिकारी युगांतर ग्रुप के संपर्क में आये। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उन्हें 1930 में जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए वह मार्क्सवाद की ओर आकृष्ट हुए 1938 में जेल से छूटने के बाद वह सी पी आइ में शामिल हो गये। इसके बाद पांच दशक से भी ज्यादा अवधि तक का. मनोरंजन राय पूरी निष्ठा और दक्षता के साथ पार्टी तथा मजदूर वर्ग आंदोलन के लिए काम करते रहे। वह उत्तरी बंगाल में चाय बागान मजदूर आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे। बी पी टी यू सी के प्रमुख नेता मनोरंजन राय 1970 में सीटू के स्थापना सम्मेलन में सीटू उपाध्यक्ष चुने गये। वह लम्बे समय तक सीटू की प. बंगाल राज्य कमेटी के सचिव रहे। इस पर रहते हुए उन्होंने राज्य में ट्रेड यूनियन आंदोलन के विकास में अमूल्य योगदान दिया।

का. मनोरंजन राय उन लोगों के साथ रहे, जिन्होंने संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष किया और उन्होंने प. बंगाल में सी पी आइ (एम) के गठन में योगदान किया। 1977 में वह पार्टी की प. बंगाल राज्य कमेटी के सेक्रेटेरियट के सदस्य चुने गये और मृत्युपर्यन्त इस पद पर बने रहे। 1978 में दसवीं पार्टी कांग्रेस में वह केन्द्रीय कमेटी के सदस्य चुने गये। केन्द्रीय कमेटी के सदस्य के रूप में कमेटी में होने वाले विचार-विमर्श में उनका प्रभावी योगदान रहा। उनके निधन से पार्टी ने एक परिपक्व और समर्पित मार्क्सवाद-लेनिनवाद नेता खो दिया है।

अपने राजनीतिक जीवन के दौरान का. मनोरंजन राय राज्य विधानसभा के विधायक और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। पिछले तीन साल से खराब स्वास्थ्य के बावजूद वह अपने दायित्व निभा रहे थे। मजदूर वर्ग के आंदोलन के साथ उनके जीवन भर चले सम्बन्ध तथा आंदोलन के प्रति उनकी सेवाओं को सदैव याद किया जाता रहेगा और उनकी सराहना की जाती रहेगी।

कामकाजी महिला का. मनोरंजन राय की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करती है। कामकाजी महिला दिवंगत नेता की पत्नी, पुत्रियों, पुत्र तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हार्दिक संवेदना का इजहार करती है।

कामरेड कमल सरकार

पश्चिम बंगाल के जाने माने मजदूर नेता, कामरेड कमल सरकार का गत 9 जून को निधन हो गया। वह 79 वर्ष के थे। वह 1988 तक सी पी आइ (एम) की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के सदस्य रहे। बाद में अस्वस्थ रहने के कारण उनके लिए इस जिम्मेदारी का बोझ उठाना असंभव हो गया था।

कामरेड कमल सरकार ने चार दशक से ज्यादा अर्से तक मजदूर वर्ग की अनथक सेवा की। वह न सिर्फ बंगाल में बल्कि देश भर में जूट मजदूरों के सबसे बड़े नेताओं में थे। वह पश्चिम बंगाल में सीटू के जाने-माने नेताओं में से थे।

कामरेड सरकार का पार्थिव शरीर कलकत्ता में सी पी आइ (एम) मुख्यालय में रखा गया जहां सीटू तथा अन्य जनसंगठनों के नेताओं ने और पार्टी नेताओं ने फूल-मालाएं चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। केओड़ातला शवदाह गृह में उनका अन्तिम संस्कार हुआ। उनकी अन्तिम यात्रा में कर्मचारी एसोसिएशनों, जनसंगठनों तथा वाम मोर्चा में शामिल पार्टियों के अनेक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।

(पृष्ठ 2 का शेष)

बाद हम अमरीकी शर्तों को माने बगैर नहीं रह सकते। इससे हमारी देश व विदेश नीति भी प्रभावित होगी। एस्मा व मीसा द्वारा हड़ताल के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाने की योजना है। समाजवादी खेमे के पतन से अमरीका व अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों को अपने को एकमात्र महाशक्ति के रूप देखते हुए हुक्म चलाने का मौका मिल गया है।

हमारे देश के भीतरी हालात भी गंभीर हैं। भाजपा जैसी सांप्रदायिक शक्तियां किसी भी कीमत पर अयोध्या में मन्दिर बनाने पर तुली हैं। इससे दंगों के भड़कने की पूरी-पूरी आशंका है। इस बारे में इस तथाकथित धर्म-निरपेक्ष सरकार का क्या रवैया है?

कोई भी देशभक्त मजदूर, कर्मचारी अथवा नागरिक अमरीकी साम्राज्यवाद की शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा तथा वह जी जान से उनके खिलाफ संघर्ष करेगा। केन्द्रीय श्रम संगठनों, फेडरेशनों व ऐसोसिएशनों की प्रायोजक समिति ने देश की जनता व मजदूर वर्ग जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक दीर्घकालीन संघर्ष का फैसला किया है।

सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ मजदूर वर्ग के संघर्ष में महिलाओं को शामिल होना है। वे 29 नवम्बर की हड़ताल में शामिल हुई थीं। उन्हें सम्मेलनों, द्वार सभाओं, पर्चों के वितरण तथा सरकारी नीतियों के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को समझाने की प्रक्रिया में शामिल होना होगा। चूंकि श्रम संगठनों तथा प्रायोजक समिति द्वारा आह्वान किया गया है अतः हमें इन नीतियों के खिलाफ बड़ी संख्या में हड़ताल में शामिल होना होगा। मई दिवस के अवसर पर हम इस उद्देश्य के लिए काम करने की शपथ लेते हैं।

[पृष्ठ 21 का शेष]

करने का काम भी करना चाहिए तथा इस सिलसिले में हर संघर्ष के बाद उसकी समीक्षा करनी चाहिए। इस दौरान हमें यह देखना चाहिए कि हम महिलाओं का कितना राजनीतिकरण करने में सफल हुए हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य समितियों के साथी पूरी संख्या में ए.आई.सी.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू की बैठकों में शामिल हों। कॉ. बी.टी.आर के निधन के बाद सीटू पर जिम्मेदारियां बढ़ गयी हैं।

[पृष्ठ 22 का शेष]

दिया। साउथ-ईस्टर्न कोल लि. (एस ई सी एल) तथा वेस्टर्न कोल लि. (डब्लू सी एल) और तालचर कोयला कांप्लेक्स से भी सफल हड़ताल की खबरें मिली हैं।

इस्पात उद्योग में भी हड़ताल खासी सफल रही। अलाय स्टील प्लांट, आइस्को (आइ आइ एस सी ओ), बर्नपुर से मुकम्मल हड़ताल की खबरें मिली हैं, जबकि सलेम तथा विशाखापत्तनम में भी हड़ताल व्यापक रूप से सफल रही। बोकारो में लगभग 50 फीसद मजदूर हड़ताल पर थे, जबकि राउरकेला में 30 फीसद नियमित कर्मचारियों और लगभग 95 फीसद ठेका मजदूरों ने हड़ताल की। उड़ीसा की ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र, लौह अयस्क खदानों में हड़ताल रही। राउरकेला इस्पात कारखाने में सयंत्र के बाहर सत्याग्रह करते हुए 500 मजदूरों को गिरफ्तार किया गया।

Book Post